स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–23, अंक–4, चैत्र–वैशाख 2072, अप्रैल 2015

संपादक
विक्रम उपाध्याय

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी
दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

आवरण कथा – पृष्ठ–6

मैं किसान की रजामंदी के बिना भूमि अधिग्रहण का औचित्य सिद्ध करने के लिए दी गई दलिलों का विश्लेषण करना चाहूंगा। मुझे बार–बार यह सुनने को मिल रहा है कि जमीन की उपलब्धता विकास के रास्ते में आड़े रही है। जमीन होने के कारण 4 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं...

भूमि अधिग्रहण : पहले भूमि का ऑडिट हो

अनुक्रम

स्वदेशी पत्रिका (कवर पेज) /1
स्वदेशी पत्रिका पढ़ें और पढ़ायें /2
अनुक्रम /3
पाठकनामा/उन्होंने कहा /4

आवरण कथा :
भूमि अधिग्रहण : पहले भूमि का ऑडिट हो
– देविन्दर शर्मा /6

दृष्टिकोण : गरीब ही क्यों करें त्याग?
– डॉ. अश्विनी महाजन /8

विमर्श : कालेधन के खिलाफ जंग
– निरंकार सिंह /10

उपलब्धि : देशी जीपीएस की तरफ बढ़ते हमारे कदम
– शशांक द्विवेदी /12

अर्थव्यवस्था : उद्यमी से दूरी ही उचित है
– डॉ. भरतझुनझुनवाला /15

चर्चा : चीन की नई चाल
– ब्रह्मा चेलानी /17

अंतर्राष्ट्रीय: शिया–सुन्नी के विवाद में फँसा यमन मुल्क
– सतीश पेडणेकर /19

सामयिकी : बढ़ती असमानता की चुनौतियाँ
– जयंतीलाल भंडारी /21

वर्चस्व : इंटरनेट पर छाएगी अब भारतीय भाषाएं
– मुकुल श्रीवास्तव /23

स्वास्थ्य : क्षय मुक्त भारत बनाने में हम अफसल क्यों?
– रवि शंकर /25

संस्कृति : भारतीय नववर्ष
– डॉ. श्यामदेव मिश्र /27

प्रतिक्रिया :
गाँव समाज और खेतीबाड़ी टूटी तो बढ़ेगी बेरोजगारी
– राजकमल त्यागी /29

समाचार परिक्रमा /31

गाँधी युग :
अंतिम जन को खैरात नहीं, खुद्दारी की दरकार
– अरुण तिवारी /35

रपट /37

स्वदेशी जागरण मंच की गतिविधियाँ /39–40

■ पाठकनामा

जरूरी है शिक्षा व्यवस्था को बदलना

देश में नरेन्द्र मोदी की सरकार बनने से उद्योग जगत और आम आदमी को काफी उम्मीद थी अब एक वर्ष होने वाला है। परंतु मेरे हिसाब से अभी तक कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। मोदी सरकार नीतियाँ तो काफी बना रही हैं लेकिन इन नीतियां को कैसे लागू करें और कैसे लाभ पहुँचे इसी कमोवेश पर सरकार विवादित होती जा रही है। मेरे हिसाब से सरकार को सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। भारतीय शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को देश के स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता बनाने वाली हो। वर्तमान जो शिक्षा है उससे बच्चों में प्रतिस्पर्धा, द्वेष भावना, झूठ–बोलने की प्रवृत्ति ओर एक दूसरे को नीचे–दिखाने का भाव उत्पन्न करनी वाली है, परिणाम स्वरूप वर्तमान शिक्षा के कारण बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही हैं। केन्द्र सरकार को शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार बनाने चाहिए जिसमें बच्चों को आत्मनिर्भरता के साथ–साथ देश के उद्योग–धंधों और भारतीय संस्कृति पर आधारित हो जो आने वाली पीढ़ी में बेरोजगारों की संख्या को कम करेगी।

– रविन्द्र जुल्का, सेक्टर–10, गुड़गाँव, हरियाणा

आप पार्टी – वीईपी पार्टी या अपनी महत्वाकांक्षा पार्टी

आप पार्टी को दिल्लीवासियों ने भरपूर जीत दिलाई थी। जिस पार्टी को आम आदमी की पार्टी कहा जाता है आज वही 'आप पार्टी' अपने कार्यक्रमों में वीईपी कल्चर भी अपना रही है। उनके सभी कार्यक्रम में अब दूसरी पार्टी की आमजन के रास्ते को दो किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाता है। जिसके कारण आम नागरिक को गंतव्य तक पहुंचने में कठिनाईयां महसूस कर रहा है। आम आदमी पार्टी के अंदर अब अपने ही सदस्यों पर लात–घूसे भी चल रहे हैं। वर्तमान दृष्टि से देखा जाए तो आप पार्टी को बनाने वाले केजरीवाल जी को तोड़ने का श्रेय जाता है जो अपनी महत्वाकांक्षाओं पर ज्यादा ध्यान देते है। मेरे हिसाब से केजरीवाल दिल्ली की राजनीति के शिखर पर तो हैं पर सहयोगियों के प्रति उनकी असहिष्णुता दर्शाती है कि उनका राजनीतिक पतन भी अब दूर नहीं। किसी ने सच ही कहा है कि ऐतिहासिक गलतियों और भूलों की नींव में अभिमान ही होता है।

– वीरेन्द्र सिंह बिष्ट, करतार नगर, दिल्ली–53

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

"धर्मक्षेत्र" शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क :150 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्क:15,00 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740

IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

उन्होंने कहा

काले धन पर अंकुश लगाने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। अब विदेशों से धन वापस लाने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया गया है।

– प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

सिर पर मैला ढोने के लिए मजबूर हमारे सभी बहन और भाईयों को इस कलंक से मुक्त करने में देर नहीं होनी चाहिए।

– अमित शाह

हमने फैसला लिया है कि कोई भी मुकदमा पांच साल से ज्यादा समय तक लंबित न रहे। इसके लिए हम हरसंभव प्रयास करेंगे।

– मुख्य न्यायाधीश एचएच दत्तू

आज भले ही हमारी सरकार नहीं है लेकिन इसके बावजूद किसानों के हित में भूमि अधिग्रहण विधेयक के मसले पर हमारी लड़ाई जारी रहेगी।

– सोनिया गाँधी

भूमि अधिग्रहण विधेयक में हम विपक्ष के सुझावों को भी शामिल करेंगे। हमें उम्मीद हैं कि इस मुद्दे पर सभी पक्षों के बीच सहमति बन जाएगी।

– वेंकैया नायडू

रामदास को निकाले जाने से साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी मजबूत लोकपाल के बजाय मजबूर लोकपाल चाहती है। आप पार्टी दिल्ली की जनता की भलाई करने के बजाय आपस में ही लड़ रही है।

– अजय माकन

लखवी की रिहाई से साबित होता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के प्रति पाकिस्तान कत्तई गंभीर नहीं है।

– निर्मला सीतारमन

मुद्रा बैंकः देर आए दुरूस्त आए

छोटी साख यानी कम पैसे की आवश्यकता वाले करोड़ों व्यक्तिगत व छोटे संगठन वाले उद्यमियों के लिए अच्छी खबर है मुद्रा बैंक योजना। प्रधानमंत्री मोदी ने जब इसकी घोषणा की तो उन करोड़ों लोगों के मन में आत्मसम्मान के साथ कर्ज लेकर अपना व्यापार शुरू करने का सपना साकार होता नजर आया, जो अभी तक सूदखोरों और बिचौलियों के चंगुल में व्यापार के आत्मसम्मान का सौदा कर रहे थे। पचास हजार से लेकर 10 लाख तक की वित्तीय सहायता वाली इस मुद्रा योजना से स्वरोजगार व आत्मनिर्भरता के नये अवसर तो बनेंगे ही साथ ही माइक्रो फाइनेंस के बेहतर नियमन का भी ढांचा तैयार होगा। मुद्रा यानि माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एजेंसी का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को न सिर्फ सस्ता ऋण उपलब्ध कराकर इन वर्गों की जिदंगी सरल बनाकर उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना है, बल्कि माइक्रो क्रेडिट सिस्टम यानि सूक्ष्म साख सुविधा व्यववस्था को भी दुरूस्त करने की हैं। आए दिन यह मामला प्रकाष में आता है कि माइक्रो फाइनेंस व्यवसाय से जुड़े लोग मनमाने ढंग से ब्याज वसूलते हैं। कई बार तो यह ब्याज की दर 60 फीसदी सालाना तक पहुंच जाती है और कर्ज में फंसा व्यक्ति जब पैसा और ब्याज चुका नहीं पाता तो सार्वजनिक रूप से उसे जिल्लत का सामना करना पड़ता है। प्रधानमंत्री के विशेष प्रयास से शुरू की गई इस योजना में डिफाल्टर होने की स्थिति में पैसे की उगाही की भी बहुत ही सरल व्यवस्था रखी गई है। इस योजना में किसी के साथ भी जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। मुद्रा बैंक योजना का लाभ देश भर के कुल 5 करोड़ 77 लाख छोटी इकाइयों को मिलने वाला है। जाहिर है इसमें एक बड़े तबके को वित्तीय कवच मिल जाएगा, जो अंततः देश की अर्थव्यवस्था को ही मजबूती प्रदान करेगा। आज जिस तरह से नियमित नौकरियों की कमी हैं और जिस तेजी से बेरोजगारी बढ़ रही है, उससे देश में अनुपयोगी मानव संसाधन का हिस्सा बड़ा होता जा रहा है। मुद्रा बैंक की योजना उन तबकों के लिए और लाभकारी हो सकती है जो परंपरागत तरीके से छोटे व्यवसाय और स्वरोजगार में ही लगे हैं। लेकिन लगातार महंगाई बढ़ने और प्रतिस्पर्धा में मजबूत वित्तीय व्यवस्था वाली कंपनियों के उतरने से छोटे उद्यमियों को व्यापार करना काफी कठिन होता जा रहा है और उस पर से बाजार में गिद्व की दृष्टि जमाये बैठे साहूकारों और सूदखोरों के दबदबे और मनमाने ढंग से ब्याज वसूलने पर कोई अंकुश नहीं होने के कारण सम्मान और संपत्ति भी दाँव पर लग जाते हैं। इस मुद्रा योजना से अल्पसंख्यकों को भी काफी लाभ पहुंच सकता है। अभी तक गावों और दूरदराजों के लोगों को न तो नियमित बैंकिंग सुविधा मिल रही थी और न आसान ऋण तक पहुंच ही थी। इस कारण छोटे कारोबार करने वाले लोग वित्त की तलाश में मारे मारे फिर रहे थे। एनएसएसओ के सर्वे के अनुसार 2013 तक प्रोपराइटरशिप और छोटी इकाई चलाने वालों की संख्या 5 करोड़ 77 लाख थी, जिनसे लगभग 26 करोड़ लोगों की जीविका जुड़ी थी। लेकिन इन्हें पर्याप्त और कम ब्याज दर पर ऋण की सुविधा उपलब्ध ही नहीं थी। देश में अजीब बिडंबना है कि एक तरफ लाखों करोड़ रुपये का ऋण कुछ चंद कंपनियों को आसानी से मिल जाता है और करोड़ों लोग जो देश की अर्थव्यवस्था में सीधे योगदान कर रहे हैं उन्हें किसी तरह की सुविधा प्राप्त नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने 20 हजार करोड़ की लागत से मुद्रा बैंक योजना को चालू कर ग्रामीण और छोटे शहरों में रहने वाले उद्यमियों, जिनमें बडी संख्या में अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी शामिल होंगे, के लिए एक अवसर व तरक्की का रास्ता खोल दिया है। सूक्ष्म साख योजना या माइक्रोफाइनेंस को नियंत्रित और नियमित करने का अभी तक कोई कारगर कानून नहीं था। कई राज्यों में माइक्रो फाइनेंस के तहत लूटमार मचाने और मनमाने ढंग से ब्याज वसूलने की घटनाएं सामने आ रही थी। कुछ राज्यों में तो न्यायालय तक को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में घोर मनमानी चल रही थी। मामूली पैसे को लेकर विवाद हो जाता है और लोगों की जान पर बन आती है। लेकिन मुद्रा बैंक योजना के लागू होने से इस क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण रखा जा सकता है। मुद्रा बैंक योजना में फ्रेंचाइजी का प्रावधान है। यानी कोई ऐजेंट यदि मुद्रा बैंक का काम करता भी है तो उसे मनमाने ढंग से पैसा वसूलने का अधिकार नहीं होगा। इसके लिए मुद्रा बैंक द्वारा बनाए गए नये दिशा निर्देशों को मानना ही पड़ेगा।

भूमि अधिग्रहण : पहले भूमि का ऑडिट हो

मैं किसान की रजामंदी के बिना भूमि अधिग्रहण का औचित्य सिद्ध करने के लिए दी गई दलिलों का विश्लेषण करना चाहूंगा। मुझे बार–बार यह सुनने को मिल रहा है कि जमीन की उपलब्धता विकास के रास्ते में आड़े रही है। जमीन होने के कारण 4 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं। जहां सरकार रुके पड़े प्रोजेक्ट की सूची देने में नाकामयाब रही वहीं, 2015 के आर्थिक सर्वेक्षण में आधारभूत ढांचे से संबंधित परियोजनाओं में अड़चन बनने वाले कारकों की सूची में जमीन शामिल नहीं है।

■ देविन्दर शर्मा

आने वाले दिनों में भूमि अधिग्रहण को लेकर लड़ाई और तेज होगी, संसद में और सड़कों पर भी। किसानों के विभिन्न संगठन प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं और उधर अन्ना हजारे भी पदयात्रा शुरू करने की योजना बना रहे हैं। सरकार खुद भी राज्यसभा में कड़ी चुनौती का सामना करने की तैयारी में लगी है, जहां उसका संख्याबल कमजोर है। लोकसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक को 11 मामूली संशोधनों के साथ पारित कर दिया, जो 2013 के कानून में पहले से ही सामहित थे। ग्रामीण विकास मंत्री बीरेंद्र सिंह ने नए कानून के बचाव में बहुत पसीना बहाया पर उससे कोई प्रभावित नहीं हुआ। बिल को लेकर हुई बहस और शोर–गुल अब भी जारी है, लेकिन इसमें मूल मुद्दा गायब हो गया कि बलपूर्वक भूमि अधिग्रहण के कानून की ऐसी क्या जरूरत है। सार्वजनिक रूप से इसका परीक्षण नहीं हो सका।

यहां मैं किसान की रजामंदी के बिना भूमि अधिग्रहण का औचित्य सिद्ध करने के लिए दी गई दलिलों का विश्लेषण करना चाहूंगा। मुझे बार–बार यह सुनने को मिल रहा है कि जमीन की उपलब्धता विकास के रास्ते में आड़े रही है। जमीन होने के कारण 4 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं। जहां सरकार रुके पड़े प्रोजेक्ट की सूची देने में नाकामयाब रही वहीं, 2015 के आर्थिक सर्वेक्षण में आधारभूत ढांचे से संबंधित परियोजनाओं में अड़चन बनने वाले कारकों की सूची में जमीन शामिल नहीं है। इसमें कहा गया है कि बाजार की प्रतिकूल परिस्थितियों और निवेशकों की रुचि के अभाव में परियोजनाएं शुरू नहीं हो पा रही हैं। दूसरी बात, यदि जमीन की अनुपलब्धता ही रोड़ा है तो मुझे कारण समझ में नहीं आता कि 576 विशेष आर्थिक क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम क्यों रहे।

सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए 45,635.63 हेक्टेयर जमीन अधिसूचित की गई थी, जबकि वास्तविक काम 28,488.49 हेक्टेयर यानी 62 फीसदी अधिग्रहित जमीन पर हुआ। इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों से तो कोई रोजगार पैदा हुआ और इसने मैन्यूफैक्चरिंग (उत्पादन) या औद्योगिक वृद्धि को बढ़ावा दिया। ध्यान रहे कि वहां तो पर्यावरण संबंधी कोई मंजूरी लेनी थी और सामाजिक प्रभाव का आकलन करने की कोई अनिवार्यता थी। इन रियायतों के आलावा अनुमान के मुताबिक 1.75 लाख करोड़ रुपए का कर–अवकाश भी दिया गया, लेकिन एसईजेड अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए।

सीएजी ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, 'सरकार द्वारा जनता से भूमि का अधिग्रहण ग्रामीण आबादी से कॉर्पोरेट जगत में संपत्ति का बड़ा हस्तांतरण साबित हो रहा है।' मुझे नहीं लगता कि सरकार को यह भी मालूम है कि अधिग्रहित जमीन का कितना हिस्सा खाली पड़ा है। एक टीवी चैनल द्वारा की गई जांच में पता चला कि सिर्फ पांच राज्यों में ही अधिग्रहित जमीन का 45 प्रतिशत बगैर इस्तेमाल पड़ा है। मसलन, उड़ीसा के गोपालपुर में टिस्को के स्टील प्लांट के लिए 1995 में

- **विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए 45,635.63 हेक्टेयर जमीन अधिसूचित की गई थी, जबकि वास्तविक काम 28,488.49 हेक्टेयर यानी 62 प्रतिशत अधिग्रहित जमीन पर ही हुआ। तो कोई रोजगार पैदा हुआ और मैन्यूफैक्चरिंग तथा औद्योगिक वृद्धि को बढ़ावा मिला।**
- **चीन में हर साल 75,000 भू–संघर्ष होते हैं, जिनमें से ज्यादातर में खून–खराबा तक हो जाता है। वहां पिछले 10 वर्षों के दौरान 28 लाख ग्रामीणों ने आत्महत्या की। इनमें से 80 प्रतिशत ने बलपूर्वक जमीन अधिग्रहित किए जाने के कारण यह घातक कदम उठाया।**
- **देश के पांच राज्यों में ही अधिग्रहित जमीन का 45 प्रतिशत बगैर इस्तेमाल पड़ा है। मसलन, उड़ीसा के गोपालपुर में टिस्को के स्टील प्लांट के लिए 1995 में 3799 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था, जिसका अब तक उपयोग नहीं हुआ है।**

3,799 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था, जिसका अब तक उपयोग नहीं हुआ है।

वैसे भी सरकार की निगाह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पास पड़ी 17 लाख एकड़ अतिरिक्त जमीन पर लगी है। जब इतनी जमीन पहले ही उपलब्ध है तो मुझे कोई कारण नजर नहीं आता कि इस अतिरिक्त जमीन का पहले उचित उपयोग क्यों नहीं कर लिया जाता। फिर यह दलील बहुत मजेदार है कि वर्ष 2013 का कानून इसलिए बदलने की जरूरत है, क्योंकि मुख्यमंत्रियों ने इसके खिलाफ राय दी थी। इस बात को भूलें कि कोयला खनन वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी कोयला क्षेत्रों की खुली नीलामी का विरोध किया था। किंतु सुप्रीम कोर्ट द्वारा 204 कोयला प्रखंडों का आवंटन रद्द करने के बाद अब चल रही नीलामी से 15 लाख करोड़ रुपए की आमदनी होने की उम्मीद है।

मुझे समझ में नहीं आता कि बाजारवादी अर्थव्यवस्था में, जहां मुक्त उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है, निजी क्षेत्र को बाजार में प्रचलित कीमत के मुताबिक जमीन के लिए खुली नीलामी में बोली लगाने को क्यों नहीं कहा जाता।

आईआईटी रुड़की के अध्ययन का अनुमान है कि पिछले 50 वर्षों में 5 करोड़ लोग 'विकास परियोजनाओं' के कारण विस्थापित हो गए भाखड़ा और पोंग बांध के विस्थापितों का आज तक पुनर्वास नहीं हो सकता, जमीन को लेकर संघर्ष मुख्यतः इसलिए उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि सरकार 'सार्वजनिक उद्देश्य' के नाम पर निजी क्षेत्र के लिए बलपूर्वक जमीन अधिग्रहित कर रही है। जैसा कि सीएजी की कई रिपोर्टों ने पाया है कि अधिग्रहित जमीन अंततः रियल एस्टेट कंपनियों के पास चली गई, जिनके वारे–न्यारे हो गए।

वॉशिंगटन स्थित राइट्स एंड रिसोर्सेस इनिशिएटिव को अपने अध्ययन में भूमि अधिग्रहण संबंधी 252 संघर्षों का पता लगा। कुछ समय पहले न्यूजवीक के लेख में फरीद जकारिया ने बताया था कि चीन में हर साल 75,000 भू–संघर्ष होते हैं, जिनमें से ज्यादातर में खून–खराबा तक हो जाता है। हाल ही की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में पिछले 10 वर्षों के दौरान 28 लाख ग्रामीणों ने आत्महत्या कर ली। इनमें से 80 प्रतिशत ने बलपूर्वक जमीन अधिग्रहित किए जाने के कारण यह घातक कदम उठाया। ऐसे में भारतीय विधायिका को भूमि अधिग्रहण से होने वाली सामाजिक–आर्थिक उथल–पुथल पर ज्यादा चिंता होनी चाहिए।

वास्तव में जमीन को कमॉडिटी का रूप देना वैश्विक साजिश का हिस्सा है। वैश्विक स्तर पर देखें तो चीन भारत की खेती योग्य जमीन जितना हिस्सा निजी पूंजी द्वारा हस्तगत किया जा चुका है। विश्व बैंक ने 1996 में भारत को कह दिया था कि वह 40 करोड़ लोगों को वर्ष 2015 तक ग्रामीण भाग से हटाकर शहरों में ले जाए। यह आबादी ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की कुल आबादी से दोगुनी है। वर्ष 2008 में विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट में भारत से भू–दरों का सहारा लेकर आबादी के इस बदलाव में तेजी लाने को कहा था। इसी वजह से कृषि को जान–बूझकर संसाधनों से वंचित किया जा रहा है और किसानों की आमदनी कम रखी जा रही है ताकि उन्हें खेती छोड़ शहर में जाने के लिए मजबूर किया जा सके। औद्योगिक विकास को कृषि के खिलाफ बहस ही गलत है।

एक ऐसे समय जब रोजगार हीन आर्थिक वृद्धि हर कहीं आम है, उद्योग बढ़ते श्रमबल का अंश भी अपने में समायोजित नहीं कर सकते। पिछले 10 वर्षों में 2004 और 2014 के बीच उच्च वृद्धि दर के बावजूद सिर्फ 1.5 करोड़ रोजगार पैदा हुए, इसलिए ग्रामीण इलाकों में उद्यमशीलता को बढ़ावा और भूमिहीनों को भूमि देना ही अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का एकमात्र समझदारीभरा रास्ता है। यदि बार–बार सूखे का सामना करने वाला महाराष्ट्र का हीवरे बाजार अपने 60 लखपतियों पर गर्व कर सकता है तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा शेष देश में नहीं हो सकता। ❑

गरीब ही क्यों करें त्याग?

लगभग 25 वर्षों की एलपीजी नीति के चलते जीडीपी में भारी वृद्धि के बावजूद गरीबों की हालत खस्ता होती जा रही है। उनसे भूमि छिन रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और रोजगार का स्तर भी गिरता जा रहा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर अमीरों के विकास के लिए गरीब ही त्याग क्यों करे! क्यों न एक ऐसी पद्धति बजे, जिसमें अमीर गरीबों के भले के लिए कुछ त्याग करें!

■ डॉ. अश्विनी महाजन

दुनिया में विकास के चिंतन में दो प्रकार की धारायें हैं। एक धारा है कि विकास का एक ऐसा तरीका अपनाया जाये जिसमें गरीब, बेरोजगार और वंचितों को केन्द्र में रखकर विकास की तमाम नीतियां बनें। ऐसा विकास जिसमें गरीबों को आगे बढ़ने के सभी मौके मिलें, ऐसी उत्पादन की पद्धति हो जिसमें रोजगार का सृजन हो, एक ऐसी वितरण नीति जिसमें आय और संपत्ति की असमानतायें न हों। यदि किसी कारण से विकास की यात्रा में गरीब पिछड़ जायें, रोजगार कमतर रह जाए या असमानतायें बढ़ जायें तो विकास की इस विसंगति को दूर करने के लिए आय और संपत्ति का पुनर्वितण, प्रत्यक्ष रोजगार सृजन, करने के लिए मनरेगा जैसी स्कीमें चलाई जायें और गरीबों को जरूरी उपयोग की सेवायें और सामान जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, अनाज, ईंधन, आवास इत्यादि सब्सिडी के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाए। इस प्रकार की सोच के ही समर्थक हैं नोबेल पुरूस्कार विजेता अमर्त्य सेन। लोकतंत्र में कभी–कभी इस प्रकार की नीति का उपयोग वोटों को लुभाने के लिए भी किया जाता है। ऐसी नीतियों को ही 'लोक लुभावन' की संज्ञा भी दी जाती है।

विकास सोच की एक दूसरी धारा है, जो विशुद्ध रूप से पूंजीवादी विचार से प्रेरित है। इस प्रकार की सोच वाले लोगों का यह तर्क है कि गरीबों के हित साधन का सही तरीका यह है कि पहले देश में उत्पादन और रोजगार बढ़ाने के लिए निवेश अधिकतम हो। उसके लिए जरूरी है कि निवेश के लिए सही वातावरण बने। जब निवेश बढ़ेगा और उत्पादन बढ़ेगा, तो रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, सरकार को राजस्व मिलेगा, जिसका इस्तेमाल इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में तो होगा ही, साथ ही साथ गरीबों को सब्सिडी देकर उनकी जरूरत का साजो–सामान भी सस्ता मुहैया करवाया जा सकेगा। इस प्रकार की सोच रखने वाले लोगों के सही विकास का पैमाना जीडीपी की ग्रोथ होता है। यदि जीडीपी 8 से 10 प्रतिशत या और ज्यादा बढ़ जाये तो इस तर्क वाले लोग उसे उपलब्धि मानते हैं। गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, आय और संपत्ति की असमानतायें में कमी इत्यादि को बाद में देखा जाएगा। उनका एक ही तर्क है कि यदि एक रोटी को चार लोगों के बीच में बांटा जाए तो हर एक के हिस्से में एक चौथाई रोटी ही आएगी, लेकिन ग्रोथ से रोटियां चार हो जायें तो हर एक के हिस्से में एक–एक रोटी आ जायेगी। अमरीकी अर्थशास्त्री जगदीश भगवती का कुछ यही मानना है, जिसे कुछ समय पहले एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया था।

गौरतलब है कि कारपोरेट और अन्य बिजनेस को दी जाने वाली छूटों के चलते सरकार गरीबों, वंचितों और अन्य वर्गों की भलाई के लिए खर्च भली–भांति नहीं कर पाती। यही कारण है कि हर साल सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, पेयजल इत्यादि जरूरी मदों पर भी अपना खर्च नहीं बढ़ा पाती। कह सकते है कि उत्पादन और रोजगार बढ़ाने के नाम पर बिजनेस को करों में छूट के कारण राजस्व को भारी नुकसान होता है और गरीबों और वंचितों के लिए सरकारी सुविधाएं नहीं जुट पाती।

लगभग एक माह पहले सरकार ने अपना बजट पेश किया। पिछले वर्षों के बजटों में एक खूबी रही है, कि बड़े–बड़े कारपोरेट घरानों पर कर कम होते रहे हैं, उन्हें तरह–तरह की छूटें भी बड़ी मात्रा में मिलती रही हैं, और आम जनता पर बजट का बोझ बढ़ता रहा है। बजट पत्रों में हर बार एक दस्तावेज प्रकाशित होता है जिसे राजस्व नुकसान का दस्तावेज कहते हैं। यदि व्यैक्तिक आय में बचत, गृह निर्माण, शिक्षा समेत उपयोगी खर्चों को प्रोत्साहन हेतू दी जाने वाली लगभग 45 हजार करोड़ रूपये की छूटों को छोड़ दें तो पता चलता है कि कंपनियों और अन्य बिजनेस को 2009–10 में सरकार द्वारा कारपोरेट टैक्स, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क में रियायतों के माध्यम से 4.4 लाख करोड़ रूपये की कर में छूटें दी गई जिसे विभिन्न

'रियायतों के कारण राजस्व नुकसान' कहा जाता है। यह राजस्व का नुकसान 2014–15 तक बढ़ता हुआ 5.5 लाख करोड़ रूपये पहुंच गया।

गौरतलब है कि कारपोरेट और अन्य बिजनेस को दी जाने वाली छूटों के चलते सरकार गरीबों, वंचितों और अन्य वर्गों की भलाई के लिए खर्च भली–भांति नहीं कर पाती। यही कारण है कि हर साल सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, पेयजल इत्यादि जरूरी मदों पर भी अपना खर्च नहीं बढ़ा पाती। कह सकते है कि उत्पादन और रोजगार बढ़ाने के नाम पर बिजनेस को करों में छूट के कारण राजस्व को भारी नुकसान होता है और गरीबों और वंचितों के लिए सरकारी सुविधाएं नहीं जुट पाती। यह भी कह सकते है कि ग्रोथ को बढ़ाने के लिए गरीबों को त्याग करना पड़ रहा है।

विकास की दूसरी विचार धारा के समर्थक लोगों को कहना है कि एक बार जीडीपी बढ़ जाने के बाद स्वयं ही गरीबों तक उसका लाभ पहुंचने लगेगा, और उनकी आमदनी, उपयोग स्तर, रोजगार इत्यादि सभी में इजाफा होगा। पिछले लगभग ढाई दशक से चल रहे विकास के मॉडल की भी यही मूलभूत सोच है। यह मॉडल जिसे उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण 'एलपीजी' माडल भी कहते हैं, की सोच यह है कि उदारीकरण जिसके अनुसार निजी कंपनियों और अन्य उद्यमों को सभी प्रकार के अवरोधों से मुक्त कर, निजीकरण (यानि पहले से चल रहे सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को निजी हाथों में सौंपकर) और भूमंडलीकरण यानि विदेशी पूंजी के अबाध–प्रवाह और वस्तुओं को अबाध आयात–निर्यात के माध्यम से ही विकास संभव है।

'एलपीजी' आधरित इस नई आर्थिक नीति में निजी कंपनियों को करों में छूट और कानूनी जंजालों से मुक्ति देते हुए, आयात और निर्यात की बाधाओं को समाप्त करते हुए, विदेशी पूंजी (प्रत्यक्ष और पोर्टफोलियों दोनों) के लिए लाल गलीचे बिछाकर स्वागत करते हुए और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को या तो निजी हाथों में सौंपकर या कंपनी बनाकर उसमें लाभ को प्रमुखता देकर विकास की बात की गई।

यह सही है कि पिछले ढाई दशकों में कई कारणों से भारत की जीडीपी की ग्रोथ तो अच्छी हुई लेकिन इस ग्रोथ का फायदा आम आदमी तक ज्यादा नहीं पहुंच पाया। दसवीं और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं में जीडीपी में औसत 8 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज हुई, लेकिन इसी दौरान बेरोजगारी भी बढ़ी और कहा गया कि यह ग्रोथ 'जॉब लैस' ग्रोथ (यानि रोजगार विहीन विकास) है।

यह सही है कि पिछले ढाई दशकों में कई कारणों से भारत की जीडीपी की ग्रोथ तो अच्छी हुई लेकिन इस ग्रोथ का फायदा आम आदमी तक ज्यादा नहीं पहुंच पाया। दसवीं और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं में जीडीपी में औसत 8 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज हुई, लेकिन इसी दौरान बेरोजगारी भी बढ़ी और कहा गया कि यह ग्रोथ 'जॉब लैस' ग्रोथ (यानि रोजगार विहीन विकास) है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़े बताते है कि देश में पिछले 10 सालों में हमारी कार्यशील जनसंख्या 12 करोड़ बढ़ गई, जबकि हम मात्र 2 करोड़ लोगों को ही अतिरिक्त रोजगार प्रदान कर सके। उधर 2004–05 से लेकर 2009–10 के पांच सालों में ही स्वरोजगार में लगे 2 करोड़ 50 लाख लोग स्वरोजगार से बाहर हो गए और दूसरी ओर 2 करोड़ 20 लाख लोग देहाड़ीदार मजदूर बन गए। जनगणना के आंकड़े बताते है कि जहां 2001 में जनजाति वर्ग के 45 प्रतिशत किसान अपनी जमीन पर खेती करते थे, 2011 में मात्र 35 प्रतिशत ही अपनी जमीन पर खेती करते है। जहां 2001 में अनुसूचित जाति के 20 प्रतिशत लोग अपनी जमीन पर खेती करते थे, 2011 में 15 प्रतिशत की अपनी जमीन पर खेती करते हैं। जहां 2001 में 37 प्रतिशत लोगों ने यह कहा था कि वे भूमिहीन खेतिहर मजदूर है, 2011 में 44.4 प्रतिशत लोगों ने अपने आपको भूमिहीन खेतिहर मजदूर बताया। गरीबी की घटने की दर भी पहले से भी कम हो गई। यानि कम ग्रोथ होने पर भी पहले गरीबी ज्यादा तेजी से कम हो रही थी, लेकिन अब ज्यादा ग्रोथ होने पर भी गरीबी घटने की दर पहले से कम हो गई है।

पिछले लगभग 25 वर्षों की एलपीजी नीति के चलते जीडीपी में भारी वृद्धि के बावजूद गरीबों की हालत खस्ता होती जा रही है। उनसे भूमि छिन रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और रोजगार का स्तर भी गिरता जा रहा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर अमीरों के विकास के लिए गरीब ही त्याग क्यों करे! क्यों न एक ऐसी पद्धति बजे, जिसमें अमीर गरीबों के भले के लिए कुछ त्याग करें!

कालेधन के खिलाफ जंग

सरकार ने काले धन को रोकने के लिए जो काम किया है, उसे कई साल पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन भ्रष्ट और बेईमान नेताओं ने इसे नहीं होने दिया। जनता अपने नेताओं से यही अपेक्षा करती है कि खैरात बांटने के बजाय कम से कम आप ईमानदारी से उसकी सेवा कीजिए। जनता को सरकार सिर्फ न्याय दे। वह अपना विकास खुद अपनी मेहनत से कर रही है।

■ निरंकार सिंह

मोदी सरकार ने अपने आम बजट में उन लोगों पर शिकंजा कसने के लिए दो नये नियमों की घोषणा की है जो विदेश में अवैध रूप से धन रखते हैं और भारत में बेनामी लेनदेन करते हैं। बैंकों ने अगर किसी व्यक्ति को काला धन छुपाने में मदद की तो उनकी भी खैर नहीं। मोदी सरकार काले धन पर अंकुश लगाने के लिए जो नया कानून बना रही है उसके तहत कालाधन छुपाने के लिए उकसाने वाले बैंकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। केन्द्र बैंकों और वित्तीय संस्थानों को भी नए कानून के दायरे में लाने की तैयारी कर रहा है।

सरकार काले धन पर अंकुश लगाने वाले कानून के लिए एक विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में पेश करेगी। इस कानून के पारित होने के बाद भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शुमार हो जाएगा, जहां काला धन के मामले में बैंकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। पहली बार देश में काला धन बनाने वालों के खिलाफ निहायत सख्त कानून बनाने का ऐलान किया गया है। यह बात भी किसी से छिपी नहीं है कि हमारी तमाम विकास योजनाओं के मद की धनराशि भ्रष्ट नेता, अधिकारी और ठेकेदार हड़प लेते हैं। अब सरकार इस पर लगाम लगायेगी।

मोदी सरकार के ईमानदार रवैये और सख्त कदमों से भ्रष्ट और बेईमान नेता घबराये हुए हैं। वे एकजुट होकर मोदी सरकार को परास्त करना चाहते हैं। इसलिए बजट से लेकर भूमि अधिग्रहण तक के तमाम मामलों पर हो–हल्ला मचाकर जनता के बीच भ्रम फैला रहे हैं। पर अब विदेशों में काला धन जमा करने वाले नेताओं और अधिकारियों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है। विदेशों में जमा काले धन की समस्या के खिलाफ पहली बार बड़ी कार्रवाई का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि इसके लिए संसद के इसी सत्र में नया विधेयक पेश किया जायेगा।

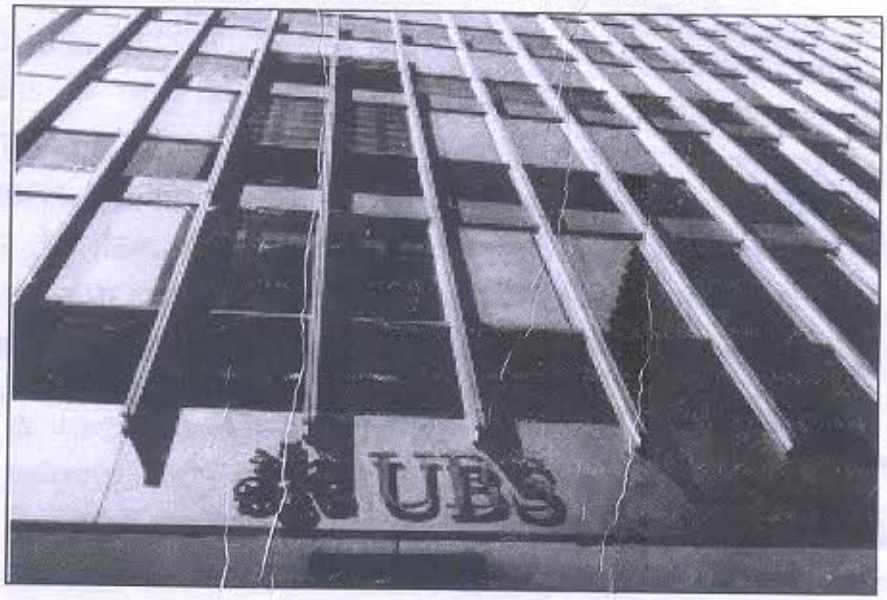

काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार घरेलू सुझावों के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय अनुभव का सहारा लेगी। इसी सम्बन्ध में केन्द्र अमेरिका सहित कई देशों के कालाधन निरोधक कानूनों का अध्ययन कर रहा है ताकि देश में काले धन पर बनने वाले नये कानून के प्रावधान सख्त किये जा सकें।

प्रस्तावित कानून में विदेशों में काला धन जमा करने वालों को 10 साल तक सजा का प्रावधान होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार काला धन पकड़े जाने के बाद आरोपी से समझौते के सारे दरवाजे बंद हो जायेंगे। यही नहीं, आरोपी सेटलमेंट कमीशन से अपील भी नहीं कर पायेगा। ऐसे काले धन पर तीन गुना पेनाल्टी लगेगी। काले धन के खिलाफ सरकार के कड़े रूख का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विदेशी सम्पत्तियों और आमदनी पर आयकर रिटर्न नहीं भरने या पूरी जानकारी नहीं देने के आरोपियों के लिए भी सात साल की सजा का प्रावधान

किया जा रहा है।

कांग्रेस के मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार ने 1999 में विदेशी मुद्रा विनिमय कानून (फेरा) की जगह विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून (फेमा) बनाकर विदेशी मुद्रा में की गई अनियमितताओं को अपराध से बाहर कर दिया था। लेकिन अब नये सिरे से फेमा में संशोधन कर अवैध तरीके से कमाई गई विदेशी मुद्रा और उससे खरीदी सम्पत्तियों को जब्त करने, उस पर जुर्माना लगाने और आरोपियों को पांच साल की सजा का प्रावधान किया जायेगा। इसके साथ ही कर चोरी कर विदेशों में बनाई गई सम्पत्तियों को मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून के दायरे में लाया जा रहा है। इस कानून के तहत विदेशों में ऐसी सम्पत्तियों को जब्त किया जा सकता है। यदि इसमें कोई दिक्कत आई तो उसके बराबर मूल्य की आरोपी को देश में स्थित सम्पत्ति जब्त की जायेगी। विदेश ही नहीं देश मे काला धन के प्रचलन पर रोक लगाने के लिए बजट में कई अहम घोषणाएं की गयी हैं। इनमें नया बेनामी सम्पत्ति रोकथाम विधेयक और आयकर कानून में संशोधन में शामिल है।

काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार घरेलू सुझावों के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय अनुभव का सहारा लेगी। इसी सम्बन्ध में केन्द्र अमेरिका सहित कई देशों के कालाधन निरोधक कानूनों का अध्ययन कर रहा है ताकि देश में काले धन पर बनने वाले नये कानून के प्रावधान सख्त किये जा सकें। वित्त मंत्रालय काले धन पर नया कानून बनाने के लिए एक विधेयक के मसौदे को अंतिम रूप दे रहा है। मंत्रालय के अधिकारी कालेधन पर सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी की सिफारिशों पर संज्ञान लेने के साथ ही अमेरिका के फटका कानून (फॉरेन एकाउन्ट टैक्स कंप्लाईस एक्ट) के प्रावधानों का भी अध्ययन कर रहे हैं। इस कानून के तहत अगर कोई अमेरिकी करदाता टैक्स चोरी करके विदेश में धनराशि जमा करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। साथ ही अमेरिकी करदाताओं को अपने आयकर के साथ अलग से एक फार्म भरकर अपने विदेशी बैंक खातों और सम्पत्तियों की सूचना देनी होती है। अगर कोई करदाता ऐसा करने में नाकाम रहता है तो उस पर भारी भरकम जुर्माना लगता है। इसके साथ ही इसमें उन बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर कार्रवाई करने का भी प्रावधान है जो किसी व्यक्ति को कर चोरी करने में किसी भी तरह मदद करते हैं। फटका के तहत एक देश से दूसरे देश के बीच काले धन के सम्बन्ध में सूचनाओं के आदान–प्रदान का भी प्रावधान है। इसलिए 2017 से भारत को अमेरिका से काले धन के सम्बन्ध में सूचनाएं भी मिलनी शुरू हो जायेंगी। मनी लांडरिंग पर अंकुश लगाने के लिए कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स व कई अन्य बहुपक्षीय एजेंसियों के अनुभवों का भी इस सम्बन्ध में अध्ययन किया जा रहा है।

देश और प्रदेश के अनेक नेताओं और अधिकारियों की बड़ी बड़ी कोठियां, शापिंग काम्प्लेक्स, कृषि फार्म, महंगी गाड़ियां और तमाम नामी–बेनामी सम्पत्तियां हैं। इनकी सम्पत्तियां सबको दिखाई देती हैं, लेकिन कानून के रखवालों को नहीं दिखाई देती हैं। वे इसके लिए जनता से प्रमाण मांगते हैं। अब यदि मोदी सरकार काले धन पर रोकथाम के लिए कदम उठा रही है तो इन्हें वह कारपोरेट घरानों का समर्थक लगती है।

नई बेनामी सम्पत्ति रोकथाम कानून के तहत काले धन से खरीदी गई इन सम्पत्तियों को जब्त करने का प्रावधान होगा। अतएव यह स्पष्ट हो जाता है कि अब तक काले धन वालों को बचाने का काम कौन लोग कर रहे थे। कुछ राज्यों के वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्रियों की सम्पत्ति देखते ही देखते किस तरह कई गुनी बढ़ गयी, यह बात भी किसी से छिपी नहीं है। जनता यह देखकर हैरान व परेशान है कि कई विधायकों, सांसदों और मंत्रियों की सम्पत्तियां दिन दूनी रात चौगुनी की रफ्तार से कैसे बढ़ जाती है? देश और प्रदेश के अनेक नेताओं और अधिकारियों की बड़ी बड़ी कोठियां, शापिंग काम्प्लेक्स, कृषि फार्म, महंगी गाड़ियां और तमाम नामी–बेनामी सम्पत्तियां हैं। इनकी सम्पत्तियां सबको दिखाई देती हैं, लेकिन कानून के रखवालों को नहीं दिखाई देती हैं। वे इसके लिए जनता से प्रमाण मांगते हैं। अब यदि मोदी सरकार काले धन पर रोकथाम के लिए कदम उठा रही है तो इन्हें वह कारपोरेट घरानों का समर्थक लगती है। सरकार ने काले धन को रोकने के लिए जो काम किया है, उसे कई साल पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन भ्रष्ट और बेईमान नेताओं ने इसे नहीं होने दिया। जनता अपने नेताओं से यही अपेक्षा करती है कि खैरात बांटने के बजाय कम से कम आप ईमानदारी से उसकी सेवा कीजिए। जनता को सरकार सिर्फ न्याय दे। वह अपना विकास खुद अपनी मेहनत से कर रही है। ❑

देशी जीपीएस की तरफ बढ़ते हमारे कदम

अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए इसरो ने भारत के चौथे नेवीगेशन सैटेलाइट आईआरएनएसएस–1डी का पीएसएलवी–सी27 के जरिए सफल प्रक्षेपण कर दिया। यह नौवहन प्रणाली के तहत छोड़े जाने वाले कुल सात उपग्रहों में से एक है आईआरएनएसएस–1डी का सफल प्रक्षेपण एक बड़ी कामयाबी है जिससे भारत अपना खुद का ने वीगेशन सिस्टम बनाने की दिशा में सफलतापूर्वक बढ़ रहा है। यह देश के लिए गर्व का विषय है क्योंकि ऐसी प्रणाली विश्व के चुनिंदा देशों के पास ही है।

■ शशांक द्विवेदी

बीते माह अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए इसरो ने भारत के चौथे नेवीगेशन सैटेलाइट आईआरएनएसएस– 1डी का पीएसएलवी–सी27 के जरिए सफल प्रक्षेपण कर दिया। यह नौवहन प्रणाली के तहत छोड़े जाने वाले कुल सात उपग्रहों में से एक है। इसे सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित करने के साथ ही भारत उन गिने–चुने देशों में शामिल हो गया है जिनके पास इस तरह की प्रणाली है। इस तरह अमेरिका के जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की तरह भारत ने खुद का नेवीगेशन सिस्टम स्थापित करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा दिया है।

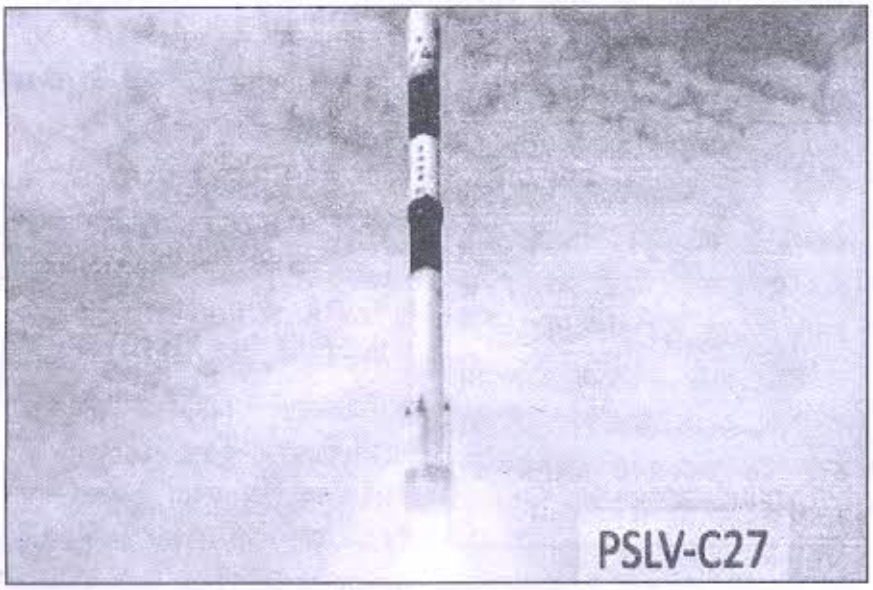

आईआरएनएसएस प्रणाली दो तरह की सेवाएं मुहैया कराएगी जिसमें एक मानक पोजीशनिंग सेवा जो सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगी, तथा सीमित सेवा जो कूट सेवा होगी एवं केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं को ही मुहैया होगी। इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम (आईआरएनएसएस) इसरो की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत सात उपग्रहों को स्थापित किया जाना है।

यह अभियान देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई दिशा प्रदान कर रहा है। इस प्रक्षेपण से देश इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम (आईआरएनएसएस) शुरू करने के लिए तैयार है क्योंकि भारत ने सात उपग्रहों के समूह में से चार उपग्रहों को उनकी कक्षा में स्थापित कर दिया है। इस परियोजना के निदेशक ने कहा, 'यह मिशन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि हम नेविगेशनल प्रक्रिया शुरू करने के लिए कक्षा में चार उपग्रह की न्यूनतम जरूरत पूरा कर रहे हैं। पीएसएलवी सी27 ने कुल 1425 किग्रावजन वाले नौवहन उपग्रह आईआरएनएसएस–1डी को उसकी निर्दिष्ट कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। यह उपग्रह नेविगेशनल, ट्रैकिंग और मानचितग्रसेवा मुहैया कराएगा और इसका जीवन 10 वर्षों का होगा।

एक बार सभी उपग्रह प्रक्षेपित होने के बाद आईआरएनएसएस अमेरिकी जीपीएस नेवीगेशनल प्रणाली के समकक्ष होगा। चार उपग्रह आईआरएनएसएस का काम शुरू करने के लिए पर्याप्त होंगे, बाकी तीन उपग्रह उसे और सटीक एवं कुशल बनाएंगे।

आईआरएनएसएस प्रणाली को इस वर्ष तक पूरा करने की योजना बनाई गई है जिस पर कुल 1420 करोड़ रुपए का

खर्च आएगा। यह दक्षिण एशिया पर लक्षित होगा और इसे देश के साथ ही उसकी सीमा से 1500 किलोमीटर तक के उपयोगकर्ताओं को सटीक स्थिति की सूचना मुहैया कराने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके जरिये स्थलीय और समुदी नेविगेशन, आपदा प्रबंधन, वाहन ट्रैकिंग और बेड़ा प्रबंधन, पर्वतारोहियों और यात्रियों के लिए दिशासूचक सहायता तथा गोताखोरों के लिए दृश्य एवं आवाज नेविगेशन सुविधा मुहैया कराई जाएगी।

आईआरएनएसएस प्रणाली दो तरह की सेवाएं मुहैया कराएगी जिसमें एक मानक पोजीशनिंग सेवा जो सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगी, तथा सीमित सेवा जो कूट सेवा होगी एवं केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं को ही मुहैया होगी। इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम (आईआरएनएसएस) इसरो की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत सात उपग्रहों को स्थापित किया जाना है। इसरो ने आईआरएनएसएस का विकास इस तरह किया है कि यह अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) के समकक्ष खड़ा हो सके। यह अमेरिका के जीपीएस के अलावा रूस के ग्लोनास, यूरोप के गैलिलियो, चीन के बीदयू सेटेलाइट नेवीगेशन सिस्टम और जापान के क्वासी जेनिथ सेटेलाइट सिस्टम की तरह ही है। जीपीएस (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) एक उपग्रह प्रणाली पर काम करता है। जीपीएस सीधे सेटेलाइट से कनेक्ट होता है और उपग्रहों द्वारा भेजे गए संदेशों पर काम करता है। जीपीएस डिवाइस उपग्रह से प्राप्त सिगनल द्वारा उस जगह को मैप में दर्शाता रहता है।

वर्चस्व का नया आकाश

"सबसे पहले अमेरिका ने अपनी जीपीएस प्रणाली विकसित की, जिसके संजाल में 24 उपग्रह होंगे। यद्यपि अमेरिका ने हमें अपनी जीपीएस प्रणाली से जुड़ने का न्यौता दिया था, लेकिन भारत ने मना कर दिया, क्योंकि युद्ध या किसी संवेदनशील अवसर पर यदि उसने हमें अपनी सेवाएं बंद कर दीं तो हमारी रक्षा प्रणाली तार–तार हो सकती थी जैसा कि 2004 में सुनामी के अवसर पर हमें भयंकर त्रासदी झेलनी पड़ी। बहरहाल अब भारत ने अमेरिका ही नहीं, अपितु अन्य वैश्विक शक्तियों का मान मर्दन करते हुए अपनी स्वतंत्र उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली विकसित कर ली है। यह अपने आप में आश्चर्यजनक है कि मात्र 1420 करोड़ रुपये की लागत से 'इसरो' ने मात्र 4 वर्षों की लघु अवधि में अपनी नेविगेशन प्रणाली का सफल संचालन करने में सक्षम हो जाएगा। 28 मार्च, 2015 की शाम ध्रुवीय राकेट ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से उघन भरी और उसने यथासमय इस पर सवार 1425 किग्रा वजनी भारत के चौथे नेविगेशन उपग्रह 'आइआरएनएसएस–1 डी' को उसकी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया।"

– शुकदेव प्रसाद

वर्तमान में जीपीएस तीन प्रमुख क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ है– स्पेस सेगमेंट, कंट्रोल सेगमेंट और यूजर सेगमेंट। जीपीएस रिसीवर अपनी स्थिति का आकलन पृथ्वी से ऊपर रखे गए जीपीएस सैटेलाइट द्वारा भेजे जाने वाले सिगनलों के आधार पर करता है। प्रत्येक सेटेलाइट लगातार मैसेज ट्रांसमिट करता रहता है। रिसीवर प्रत्येक मैसेज का ट्रांजिट समय नोट करता है और प्रत्येक सैटेलाइट से दूरी की गणना करता है।

इसरो ने आईआरएनएसएस का विकास इस तरह किया है कि यह अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) के समकक्ष खड़ा हो सके। यह अमेरिका के जीपीएस के अलावा रूस के ग्लोनास, यूरोप के गैलिलियो, चीन के बीदयू सेटेलाइट नेवीगेशन सिस्टम की तरह ही है।

ऐसा माना जाता है कि रिसीवर बेहतर गणना के लिए चार सैटेलाइट का इस्तेमाल करता है। इससे यूजर की थ्रीडी स्थिति (अक्षांश, देशांतर रेखा और उन्नतांश) के बारे में पता चल जाता है। एक बार जीपीएस की स्थिति का पता चलने के बाद जीपीएस यूनिट दूसरी जानकारियां जैसे कि स्पीड, ट्रैक, ट्रिप, दूरी, जगह से दूरी, सूर्य के उगने और डूबने के समय के बारे में जानकारी एकत्र कर लेता है। आईआरएनएसएस के तहत भारत अपने भौगोलिक दायरे तथा अपने आसपास के कुछ क्षेत्रों तक नेविगेशन की सुविधा रख पाएगा। इसके तहत भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा कुल सात नेविगेशन सैटेलाइट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए जाने है, जो

36000 किमी की दूरी पर पृथ्वी की कक्षा का चक्कर लगाएंगे। यह भारत तथा इसके आसपास के 1500 किमी के दायरे में चक्कर लगाएंगे। जरूरत पड़ने पर उपग्रहों की संख्या बढ़ाकर नेविगेशन क्षेत्र में और विस्तार किया जा सकता है। आईआरएनएसएस दो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बैंड एल–5 और एस पर सिगनल देते हैं। यह स्टैंर्डड पोजिशनिंग सर्विस तथा रिस्ट्रिक्टेड सर्विस की सुविधा प्रदान करेगा। इसकी स्टैंर्डड पोजिशनिंग सर्विस सुविधा जहां भारत में किसी भी क्षेत्र में, किसी भी आदमी की स्थिति बताएगी, वहीं रिस्ट्रिक्टेड सर्विस सेना तथा महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों के लिए सुविधाएं प्रदान करेगी।

भारतीय आईआरएनएसएस अमेरिकन नेविगेशन सिस्टम 'जीपीएस' से बेहतर है। मात्र सात सैटेलाइट के जरिए यह अभी 20 मीटर के रेंज में नेविगेशन की सुविधा दे सकता है, जबकि उम्मीद की जा रही है कि यह इससे भी बेहतर 15 मीटर रेंज में भी यह सुविधा देगा। जीपीएस की इस कार्यक्षमता के लिए 24 सैटेलाइट काम करते हैं, जबकि आईआरएनएसएस के लिए मात्र सात सैटेलाइट जरूरी हैं। लेकिन यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि जीपीएस की रेंज विश्वव्यापी है जबकि आईआरएनएसएस की रेंज भारत और एशिया तक ही सीमित है। सुरक्षा एजेंसियों और सेना की जरूरतों की दृष्टि से भी आईआरएनएसएस काफी बेहतर है। यह प्रणाली देश तथा देश की सीमा से 1500 किमी की दूरी तक के हिस्से में उपयोगकर्ता को सटीक स्थिति की सूचना देगी। यह इसका प्राथमिक सेवा क्षेत्र भी है। नौवहन उपग्रह आईआरएनएसएस के अनुप्रयोगों में नक्शा तैयार करना, जियोडेटिक आंकड़े जुटाना, समय का बिल्कुल सही पता लगाना, चालकों के लिए दृश्य और ध्वनि के जरिए नौवहन की जानकारी, मोबाइल फोनों के साथ एकीकरण, भूभागीय हवाई तथा समुद्री नौवहन तथा यात्रियों व लंबी यात्रा करने वालों को भूभागीय नौवहन की जानकारी देना आदि शामिल हैं।

आईआरएनएसएस के सात उपग्रहों की यह शृंखला स्पेस सेगमेंट और ग्राउंड सेगमेंट, दोनों के लिए है। सातों उपग्रह इस साल के अंत तक कक्षा में स्थापित कर दिए जाएंगे और तब आईआरएनएसएस प्रणाली शुरू हो जाएगी। आईआरएनएसएस–1डी का सफल प्रक्षेपण एक बड़ी कामयाबी है जिससे भारत अपना खुद का नेवीगेशन सिस्टम बनाने की दिशा में सफलतापूर्वक बढ़ रहा है। यह देश के लिए गर्व का विषय है क्योंकि ऐसी प्रणाली विश्व के चुनिंदा देशों के पास ही है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए इसरो ने भारत के चौथे नेवीगेशन सैटेलाइट आईआरएनएसएस–1डी का पीएसएलवी–सी27 के जरिए सफल प्रक्षेपण कर दिया। यह नौवहन प्रणाली के तहत छोड़े जाने वाले कुल सात उपग्रहों में से एक है आईआरएनएसएस–1डी का सफल प्रक्षेपण एक बड़ी कामयाबी है जिससे भारत अपना खुद का ने वीगेशन सिस्टम बनाने की दिशा में सफलतापूर्वक बढ़ रहा है। यह देश के लिए गर्व का विषय है क्योंकि ऐसी प्रणाली विश्व के चुनिंदा देशों के पास ही है। ❑

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

हमारा पता है :–

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

उद्यमी से दूरी ही उचित है

प्रधानमंत्री जी को उद्यमियों द्वारा चालित नहीं होना चाहिये। नीति बनाने में देश के सभी वर्गों की हिस्सेदारी को उचित महत्व देना चाहिये। श्री मोदी को जापान की सरकार तथा उद्यमी की नजदीकी की पालिसी नहीं अपनानी चाहिये। गलत दिशा में तेज चलने की तुलना में सही दिशा में धीरे चलना ज्यादा सुखद होगा।

■ डॉ. भरत झुनझुनवाला

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के मुख्याधिकारियों के साथ फोटो लगातार छपती रहती हैं। प्रधानमंत्री का प्रयास है कि उद्यमियों को साथ लेकर चलें जैसे संयुक्त परिवार में कर्ता सबको साथ लेकर चलता है। प्रथम दृष्टया यह नीति अच्छी दिखती है। परन्तु यदि परिवार का कर्ता परिवार के एक घटक के प्रति विशेष रूप से मेहरबान हो तो आपसी कलह बढ़ती है और अन्ततः परिवार टूट जाता है। कर्ता के लिये अनिवार्य होता है कि परिवार के विभिन्न व्यक्तियों के बीच न्यायपूर्ण संतुलन बना कर चले। यह बात देश पर भी लागू होती है। प्रधान मंत्री यदि किसी वर्ग विशेष के नजदीक दिखें और दूसरों से दूरी रखें तो समाज में असंतुलन पैदा होगा। प्रधान मंत्री के एकतरफा व्यवहार के कारण पूरा देश टूट जाये यह स्वीकार्य नहीं। शायद इसीलिये भारतीय परम्परा में व्यक्ति विशेष के भरोसे देश को चलाने के स्थान पर समाज के विभिन्न घटकों के बीच संवाद को अधिक महत्व दिया गया था। इन धटकों के बीच तनाव को मान्यता दी गयी थी।

कौटिल्य अर्थशास्त्र और मनुस्मृति में कहा गया है कि ब्राह्मण द्वारा क्षत्रीय, क्षत्रीय द्वारा वैश्य और वैश्य द्वारा शूद्र पर नियंत्रण किया जाना चाहिये। यहां क्षत्रीय, वैश्य तथा शूद्र का अर्थ व्यक्ति के पेशे से लिया जाना चाहिए ना कि व्यक्ति के जन्म से। क्षत्रीय तथा वैश्य आपस में सतत घर्षण में लिप्त रहते हैं जैसे क्षत्रीय अधिक मात्रा में टैक्स वसूलना चाहता है जबकि वैश्य कम देना चाहता है। इसी प्रकार वैश्य तथा शूद्र में वेतन को लेकर घर्षण सतत बना रहता है। इस घर्षण से समाज तय करता है कि टैक्स तथा वेतन की दर क्या हो।

जापानी मॉडल को अपनाना हमारे लिये घातक होगा। जापान की जनता एकसार है। वहां भाषा, जाति, धर्म, क्षेत्र आदि के प्रपंच नहीं हैं। वह एक छोटा देश है जहां राजा के प्रति अत्यधिक सम्मान है। देश को मनचाही दिशा में ले जाना और वापस लाना आसान है जैसे मोनोसाइकिल को एक क्षण आगे और दूसरे क्षण पीछे ले जाया जा सकता है। भारत में अनेक प्रकार की विभिन्नतायें हैं। हमारी संस्कृति में विद्वान को श्रेष्ठ और राजा को उसके अधीन माना जाता है।

उद्यमियों के साथ संवाद करने में मोदी द्वारा जापान की पालिसी का अनुसरण किया जा रहा दिखता है। जापान की सरकार सबको साथ लेकर चलती है जैसे हमारे संयुक्त परिवार में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान की सफलता का श्रेय अकसर इस परम्परा को दिया जाता है। इस व्यवस्था के केन्द्र में जापान की मिनिस्ट्री आफ इंटरनेशनल ट्रेड एण्ड इंडस्ट्री है जिसे 'मिटी' नाम से जाना जाता है। मिटी द्वारा आयात निर्यात, टैक्स वसूली आदि की पॉलिसी बनाने के साथ–साथ बैंकों, विदेश नीति तथा श्रम मंत्रालय में भी दखल रहती है। अपने इस सर्वव्यापी प्रभाव का उपयोग करके 'मिटी' ने पचास के दशक में बैंकों को सलाह दी कि कपड़ा मिलों को लोन न दे तथा कोयला और लौह खनिज के के आयात को आसान बनाया। फलस्वरूप जापान का कपड़ा उद्योग बन्द हो गया और स्टील उद्योग का विस्तार हुआ। इसी प्रकार साठ के दशक में मिटी ने उद्योगों को इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र में प्रवेश करने को प्रेरित किया। मिटी के प्रभाव में जापानी अर्थव्यवस्था का दिशा परिवर्तन सरलता से सम्पन्न हुआ। परन्तु विचारणीय प्रश्न है कि यह दिशा परिवर्तन जापान के लिये लाभप्रद रहा कि नहीं?

कुछ विद्वानों के अनुसार 'मिटी' द्वारा बढ़ाई गई पालिसी हानिप्रद रही है। चार उदाहरण उपलब्ध हैं। सत्तर के दशक में जापान का स्टील उद्योग ध्वस्त हो गया। तेल के दाम में वृद्धि से जापान के ये उद्योग संकट में आ गये। यदि 'मिटी' ने उद्यमियों को स्टील में न धकेला होता तो इस नुकसान से वह देश बच जाता।

दूसरे, मिटी ने घरेलू कम्प्यूटर उद्योग को बढ़ावा देने का निर्णय लिया। जापानी

उद्योगों को कम्प्यूटर आयात की छूट नहीं दी गई। उन्हें घटिया जापानी कम्प्यूटर से काम चलाना पड़ा जिससे उनकी कार्यकुशलता प्रभावित हुयी। जापान उच्चकोटि के कम्प्यूटर भी नहीं बना पाया। तीसरे, सोनी कम्पनी ने 'मिटी' से ट्रांसिस्टर के आयातों की अनुमति मांगी जिसे अस्वीकार कर दिया गया। परन्तु सोनी ने 'मिटी' के विरोध के बावजूद इनका आयात किया और इनके बल पर वह विशाल इलेक्ट्रानिक्स कम्पनी बनी। चौथे, मिटी ने जापान की छोटी कार निर्माता कम्पनियों का विलय बड़ी कार निर्मता कम्पनियों के साथ कराने का प्रयास किया जिससे बाजार में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न न हो। उस समय होण्डा छोटी कम्पनी थी। होण्डा ने 'मिटी' के इस दबाव का सामना किया और समय क्रम में विशाल कार कम्पनी बनने में सफलता हासिल की। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि 'मिटी' का रिर्पोट कार्ड संदिग्ध रहा है।

जापान की सफलता का मूल रहस्य ऊंची घरेलू बचत दर तथा अनुशासित श्रमिक हैं। जापान की संस्कृति में राजा तथा सरकार पर अटूट भरोसा किया जाता है। असल सफलता इन कारणों से थी। सरकार तथा उद्यमियों की नजदीकी एक अवरोध थी। इन्होंने आपसी मेल–जोल से नीतियां निर्धारित की जो अकसर गलत दिशा में थीं जैसे संयुक्त परिवार का कर्ता बच्चे को बिना संवाद किये साफ्टवेयर से हटाकर खेती में लगा दें तो बच्चे का भविष्य जाता रहता है। जापान के मॉडल में दिशा परिवर्तन अति शीघ्र हो जाता है परन्तु इसकी दिशा पर भरोसा नहीं रहता है। जैसे सर्कस की मोनोसाइकिल एक क्षण में घुमाया, चलाया अथवा रोका जा सकता है परन्तु यह स्थिर नहीं होती है।

जापान की सफलता का मूल रहस्य ऊंची घरेलू बचत दर तथा अनुशासित श्रमिक हैं। जापान की संस्कृति में राजा तथा सरकार पर अटूट भरोसा किया जाता है। असल सफलता इन कारणों से थी। सरकार तथा उद्यमियों की नजदीकी एक अवरोध थी।

लम्बे समय तक मोनोसाइकिल चलाना कठिन होता है। तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था ट्राइसिकिल की तरह है। दिशा निर्धारित करने के लिये सरकार, उद्यमी तथा श्रमिक तीनों घटकों में घमासान मचा रहता है। तीनों के आपसी तनाव से दिशा तय होती है। ट्राइसिकिल के चलने में तीनों पहियों की सहमति जरूरी होती है। यह सहमति बनने के बाद ट्राइसिकिल लम्बे समय तक स्थिरता पूर्वक चलती रहती है।

जापानी मॉडल को अपनाना हमारे लिये घातक होगा। जापान की जनता एकसार है। वहां भाषा, जाति, धर्म, क्षेत्र आदि के प्रपंच नहीं हैं। वह एक छोटा देश है जहां राजा के प्रति अत्यधिक सम्मान है। देश को मनचाही दिशा में ले

भारतीय अर्थव्यवस्था ट्राइसिकिल की तरह है। दिशा निर्धारित करने के लिये सरकार, उद्यमी तथा श्रमिक तीनों घटकों में घमासान मचा रहता है। तीनों के आपसी तनाव से दिशा तय होती है। ट्राइसिकिल के चलने में तीनों पहियों की सहमति जरूरी होती है। यह सहमति बनने के बाद ट्राइसिकिल लम्बे समय तक स्थिरता पूर्वक चलती रहती है।

जाना और वापस लाना आसान है जैसे मोनोसाइकिल को एक क्षण आगे और दूसरे क्षण पीछे ले जाया जा सकता है। भारत में अनेक प्रकार की विभिन्नतायें हैं। हमारी संस्कृति में विद्वान को श्रेष्ठ और राजा को उसके अधीन माना जाता है। इस देश को यदि जापान की तरह त्वरित परिवर्तन में डाला गया तो तमाम लोग छूट जायेंगे और देश में असंतोष बढ़ेगा। 'मिटी' का अनुभव बताता है कि नीति को शीघ्रतापूर्वक लागू करने की तुलना में नीति का सही दिशा निर्धारण जादा महत्वपूर्ण है।

मोदी जी को विश्वास है कि उद्यमियों को साथ लेकर चलेंगे तो आर्थिक विकास की गति बढ़ेगी और आम आदमी को भी सकून मिलेगा। आम आदमी का दीर्घकालिक हित उद्यमियों के माध्यम से ही हासिल होगा। इसलिये वे वर्तमान में आम आदमी की अनदेखी कर उद्यमी की गोद में जा बैठे हैं। इस पॉलिसी में तीन संकट है। पहला संकट है कि आर्थिक विकास तीव्र होगा कि नहीं यह तय नही है। दूसरा संकट है कि आर्थिक विकास तीव्र हो जाए तो आम आदमी तक उसका लाभ रिसेगा या नहीं यह तय नहीं है। तीसरा संकट है कि आम आदमी को आर्थिक लाभ मिल जाये तो भी वह संतुष्ट होगा या नहीं यह तय नही है। इन संकटों से बचना चाहिये। मोदी को उद्यमियों द्वारा चालित नहीं होना चाहिये। नीति बनाने में देश के सभी वर्गों की हिस्सेदारी को उचित महत्व देना चाहिये। श्री मोदी को जापान की सरकार तथा उद्यमी की नजदीकी की पालिसी नहीं अपनानी चाहिये। गलत दिशा में तेज चलने की तुलना में सही दिशा में धीरे चलना ज्यादा सुखद होगा। ❑

चीन की नई चाल

चीन की सिल्क मार्ग योजना ऊर्जा के साथ–साथ आर्थिक, कूटनीतिक और सुरक्षा उद्देश्यों को भी समाहित किए हुए है। इसके लिए एक खर्चीला नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है ताकि अधिकाधिक व्यापार सुविधाओं को हासिल किया जा सके, सामरिक पहुंच कायम की जा सके और पनडुब्बी शक्ति की भूमिका बढ़ाई जा सके। इस प्रक्रिया में चीन का लक्ष्य एशिया में अमेरिका के साथ शक्ति संतुलन तक सीमित नहीं है, बल्कि अपना प्रभुत्व कायम करना है। केवल लोकतांत्रिक सामंजस्य ही इस रणनीति को विफल कर सकता है।

■ ब्रह्मा चेलानी

वर्षों से चीन भारत को हिंद महासागर में मोतियों की माला के माध्यम से घेरने की कोशिश करता रहा है। इसके तहत वह इस क्षेत्र में अपनी सुविधा के लिए नेटवर्क खड़ा करने के काम में जुटा हुआ है ताकि अपने सामरिक हितों को मजबूत कर सके और समुद्री क्षेत्र में पकड़ बढ़ा सके। चीन अब अपनी इस पुरानी नीति को अमली–जामा पहनाने के लिए समुद्री सिल्क रूट परियोजना के नाम से आगे बढ़ा रहा है।

जाहिर है इसके बहाने चीन की वास्तविक इच्छा कुछ और ही है। नया नामकरण भारत की चिंताओं के मद्देनजर किया गया है और इस बहाने चीन क्षेत्रीय प्रभुत्व कायम करने की कोशिश में है। चीन की सिल्क रूट परियोजना एक लुभावना कदम है, जो मोतियों की माला नीति के जैसी ही है। यह नीति इस योजना को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है कि एशिया की नई शक्ति व्यवस्था और हिंद महासागर क्षेत्र में चीन को केन्द्रीय स्थान दिलाया जा सके। इस परियोजना के माध्यम से चीन अपने तमाम पड़ोसी देशों के साथ मौजूदा समुद्री विवाद को हल करने के साथ ही क्षेत्रीय यथा–स्थिति को भी बदलने की कोशिश कर रहा है। कुल मिलाकर उसकी महत्वाकांक्षा यही है कि एशिया के भू–राजनीतिक परिदृश्य को नए सिरे से निर्धारित किया जाए।

चीन में सैन्य विज्ञान अकादमी के कर्नल बाओ झिउ के मुताबिक यह परियोजना वास्तव में तटवर्ती देशों को आर्थिक अवसर प्रदान करती है जिसके माध्यम से चीन के साथ इन देशों का सुरक्षा सहयोग अधिक प्रगाढ़ हो सकेगा। इस पहल पर राष्ट्रपति शी चिनफिंग की

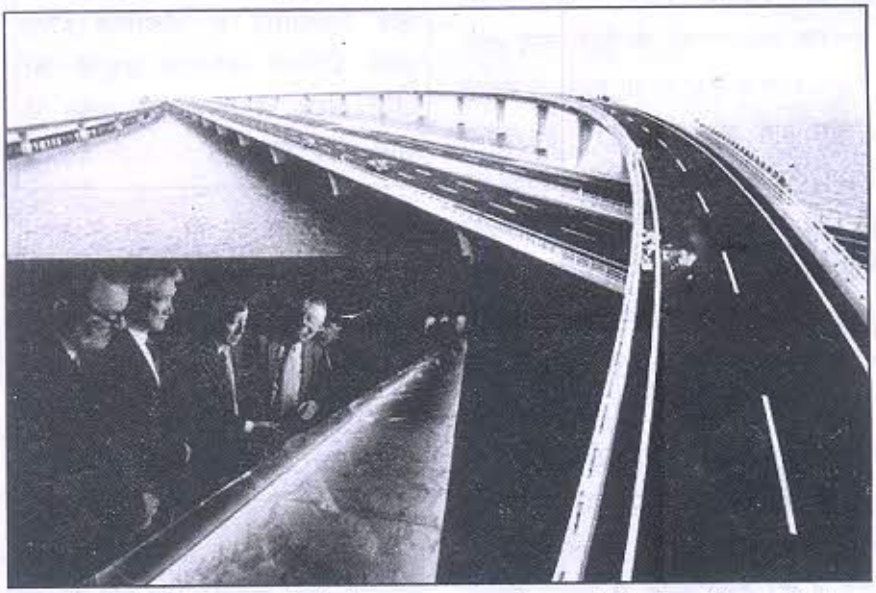

छाप है जिन्होंने सिल्क मार्ग के लिए 40 अरब डॉलर का कोष निर्धारित किया है। इसके अतिरिक्त इस परियोजना के लिए चीन द्वारा प्रायोजित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक भी सहयोग कर रहा है। यह संस्था चीन को वित्तीय मदद देने, निवेश करने और अन्य आर्थिक सहूलियतें मुहैया कराती है ताकि अन्य क्षेत्रीय देशों के साथ चीन की नजदीक बढ़े।

तटवर्ती देशों में चीन द्वारा बंदरगाहों का निर्माण, रेल संपर्क, हाईवे और पाइपलाइन बिछाने आदि का उद्देश्य भी क्षेत्रीय देशों को चीन की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना है, जिसमें चीन को खनिज संसाधनों का निर्यात और चीन में बने सामानों का आयात शामिल है। यदि समुद्री सिल्क मार्ग के सामरिक आयाम को देखा जाए तो यह चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को मजबूती प्रदान करता है। यह चीनी राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण नीतिगत पहल है। उदाहरण के लिए चीन के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में कार्यरत मेजर जनरल जी मिंगकुई अपने एक निबंध में लिखते हैं कि यह परियोजना चीन को नई पहचान देने के साथ ही उसके प्रभुत्व

में विस्तार करेगी। विशेषकर अमेरिका की धुरी में एशिया को जाने से रोका जा सकेगा। हालांकि पीएलए विशेषज्ञ इस पहल को मोतियों की माला नीति से जोड़कर देखने से इन्कार करते हैं। वह सिल्क मार्ग योजना को 15वीं शताब्दी में 'झेंग हे' से जोड़ते हैं। 'झेंग हे' चीन के एक एडमिरल थे जो खजाने वाले जहाज के साथ अफ्रीका की नौसैनिक यात्रा पर गए थे। केंद्रीय सैन्य आयोग के सदस्य सुन जिंग और झेंग के मुताबिक प्राचीन सिल्क मार्ग में एक इंच जमीन पर भी कब्जा करने की कोशिश नहीं की गई और न ही इसके माध्यम से समुद्री आधिपत्य कायम करने की कोशिश हुई।

हालांकि इतिहास गवाह है कि मुख्य समुद्री रास्तों पर सैन्य बलों के माध्यम से नियंत्रण स्थापित किया गया, जिसमें स्थानीय शासकों की भी मिलीभगत होती थी। वास्तव में मोतियों की माला से समुद्री सिल्क मार्ग को मुश्किल से ही अलग किया जा सकता है। इसके माध्यम से तटवर्ती देशों में चीन द्वारा प्रायोजित इस परियोजना से चीनी सेना की मुखरता और बढ़ेगी। इससे तटवर्ती देश चीन की एक समन्वित रणनीति का हिस्सा बन जाएंगे जिससे इन देशों को प्रभावित किया जा सकेगा। चीन उन्हें यही समझा रहा है कि यदि चीन एशिया की सबसे बड़ी शक्ति बनता है तो यह उनके अपने हित में है। दूसरे शब्दों में समुद्री सिल्क मार्ग चीन की मोतियों की माला की उसकी छद्म रणनीति को शांति के नाम पर नए सिरे से आगे बढ़ा सकेगा।

चीन आर्थिक हितों के नाम पर अपने सैन्य लक्ष्यों को आगे बढ़ा रहा है। इसका पता इससे भी चलता है कि श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के पास चीन ने 50 करोड़ डॉलर की लागत से दो कंटेनर टर्मिनलों का नवनिर्माण किया है जहां उसने अलग से अपने दो युद्धपोतों को तैनात कर रखा है। इस टर्मिनल में अधिकांश स्वामित्व चीन की सरकारी कंपनियों के पास है। इन गतिविधियों के माध्यम से चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी स्थायी उपस्थिति बनाए रखने में समर्थ हुआ है। इसी तरह पाकिस्तान के

हिंद महासागर में व्यापक उपस्थिति कायम करना ही चीन का मुख्य इरादा है। यह चीन की मध्य एशिया नीति के लिए महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर एशिया की नई क्रम व्यवस्था पूर्व एशिया के घटनाक्रमों से निर्धारित नहीं होने वाली जहां जापान चीन के प्रभुत्व को रोकने के प्रति कृतसंकल्प है, बल्कि यह हिंद महासागर से निर्धारित होगी जहां बीजिंग भारतीय प्रभुत्व को खत्म करने के लिए लंबे समय से कार्य कर रहा है।

ग्वादर बंदरगाह पर भी चीन ने अपनी पकड़ मजबूत करने के साथ ही अपनी उपस्थिति बना ली है। यह बंदरगाह सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण एक हारमुज जलडमरू के निकट स्थित है।

चीन ने ग्वादर बंदरगाह का निर्माण केवल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया है, बल्कि वह इसके माध्यम से नौसैनिक अड्डा स्थापित कर रहा है और महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों पर प्रभुत्व कायम कर रहा है। श्रीलंका के दक्षिणी बंदरगाह हंबनटोटा के बाद चीन कोलंबो के पास 1.4 अरब डॉलर की राशि से छोटे–मोटे देश के बराबर की एक भूमि पर एक विशाल कांप्लेक्स बना रहा है। इस कांप्लेक्स में कई ऊंची इमारतें बनाई जाएंगी ताकि चीन के समुद्री रास्ते के लिए इसे ठहरने के एक बड़े स्थान के रूप में विकसित किया जा सके। पीएलए सैन्य विज्ञान अकादमी के मानद सदस्य झाउ बो स्वीकार करते हैं कि इस क्षेत्र में चीन की इस वृहत परियोजना से हिंद महासागर का राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पूरी तरह से बदल जाएगा और यहां चीन की सशक्त उपस्थिति होगी।

हिंद महासागर में व्यापक उपस्थिति कायम करना ही चीन का मुख्य इरादा है। यह चीन की मध्य एशिया नीति के लिए महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर एशिया की नई क्रम व्यवस्था पूर्व एशिया के घटनाक्रमों से निर्धारित नहीं होने वाली जहां जापान चीन के प्रभुत्व को रोकने के प्रति कृतसंकल्प है, बल्कि यह हिंद महासागर से निर्धारित होगी जहां बीजिंग भारतीय प्रभुत्व को खत्म करने के लिए लंबे समय से कार्य कर रहा है। इसके लिए चीन ने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजनाओं में अरबों डॉलर का निवेश किया है। ये परियोजनाएं वास्तव में नई दिल्ली के साथ भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में हैं। चीन की सिल्क मार्ग योजना ऊर्जा के साथ–साथ आर्थिक, कूटनीतिक और सुरक्षा उद्देश्यों को भी समाहित किए हुए है। इसके लिए एक खर्चीला नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है ताकि अधिकाधिक व्यापार सुविधाओं को हासिल किया जा सके, सामरिक पहुंच कायम की जा सके और पनडुब्बी शक्ति की भूमिका बढ़ाई जा सके। इस प्रक्रिया में चीन का लक्ष्य एशिया में अमेरिका के साथ शक्ति संतुलन तक सीमित नहीं है, बल्कि अपना प्रभुत्व कायम करना है। केवल लोकतांत्रिक सामंजस्य ही इस रणनीति को विफल कर सकता है। ❑

शिया-सुन्नी के विवाद में फँसा यमन मुल्क

वैसे सऊदी अरब के पैट्रो डालर से दुनियाभर में फैले वहाबी आंदोलन से स्थिति पेचीदा हो गई है। वहाबियों ने उन सभी मुसलमान समुदायों को गैर–मुस्लिम करार दिया है जो इस्लाम में किसी तरह के बदलाव की कोशिश करते हैं। समाधान का एक ही रास्ता है कि शिया–सुन्नी भाईचारा कायम हो। विश्व मुस्लिम समुदाय दोनों पर दबाव डाल उन्हें सहअस्तित्व के लिए मना सकता है ताकि खूनखराबा बंद हो। यह काम आसान नहीं है, मगर असंभव भी नहीं है। यही एक रास्ता है जिससे इस क्षेत्र में शांति और सद्भाव सुनिश्चित किया जा सकता है।

■ सतीश पेडणोकर

मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका शिया–सुन्नी संघर्ष के ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठे हैं। यह ज्वालामुखी समय– समय पर फटता रहता है। पिछले दो सालों से दुनिया इराक और सीरिया में आईएसआईएस की हिंसा और हैवानियत का तांडव देख रही थी और उससे निपटने के उपाय सोच रही थी कि यमन के ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया। पिछले साल सितम्बर में वहां के शिया हौथी विद्रोहियों ने तख्तापलट कर हालात को गरमा दिया, लेकिन सऊदी अरब ने अपने साथी देशों के साथ हौथी बागियों के क्षेत्र पर हवाई हमले करके स्थिति और विस्फोटक बना दी है।

अब तक संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कतर, कुवैत और जॉर्डन इस युद्ध में शामिल हुए हैं। मिस्र, पाकिस्तान और सूडान ने भी इसमें सहयोग की इच्छा जताई है। अमेरिका हमले में शामिल नहीं है, मगर वह तकनीकी एवं परामर्श संबंधी सहयोग दे रहा है। अब ईरान अपने मित्र हौथियों के पक्ष में मैदान में उतर सकता है। इसके बाद तो लगता है इस क्षेत्र की खैर नहीं। अब तक दो क्षेत्रीय महाशक्तियां ईरान व सऊदी अरब पर्दे के पीछे रह कर युद्ध लड़ रही थीं। यमन में वे खुलकर सामने आ गई हैं।

देखा जाए तो यमन का मामला ज्यादा टेढ़ा है। वहां बहुत सी ताकतें एक साथ सक्रिय हैं। वहां स्थानीय सांप्रदायिक संघर्ष के साथ अंतरराष्ट्रीय संघर्ष भी है। दोनों एक–दूसरे को बढ़ावा देते हैं। हालांकि यमन भारत से काफी दूर है मगर वहां का युद्ध भारत के लिए नया सिरदर्द बनता जा रहा है। ताजा लड़ाई का प्रभाव तेल के बाजार पर भी पड़ता दिखता है। सऊदी हमले के साथ कच्चे तेल का भाव डेढ़ डॉलर प्रति बैरल बढ़ गया। यदि संघर्ष यमन में ही केंद्रित रहता है और फैलता नहीं है तो इसके आर्थिक प्रभाव ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन हमें महंगे तेल की मार तो झेलनी होगी। दूसरे, यमन में बहुत से भारतीय रोजगार के सिलसिले में रहते हैं। यदि युद्ध उग्र होता है तो उन्हें वहां से निकालना भारत की प्राथमिकता होगी जिसके प्रयास शुरू हो भी गये हैं।

हालांकि यमन भारत से काफी दूर है मगर वहां का युद्ध भारत के लिए नया सिरदर्द बनता जा रहा है। ताजा लड़ाई का प्रभाव तेल के बाजार पर भी पड़ता दिखता है। सऊदी हमले के साथ कच्चे तेल का भाव डेढ़ डॉलर प्रति बैरल बढ़ गया। यदि संघर्ष यमन में ही केंद्रित रहता है और फैलता नहीं है तो इसके आर्थिक प्रभाव ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन हमें महंगे तेल की मार तो झेलनी होगी। दूसरे, यमन में बहुत से भारतीय रोजगार के सिलसिले में रहते हैं।

हालांकि सऊदी अरब ने यमन की सीमा पर अपनी सेना तैनात कर दी है, लेकिन वह तुरंत जमीनी युद्ध लड़ेगा इसकी संभावना कम है। यूं भी जमीनी युद्ध अब आउट ऑफ फैशन होता जा रहा है। जब तक संभव हो, हमलावर देश हवाई हमले से काम चलाते हैं। यह 'सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे' वाला मामला है। जैसे कई पश्चिमी देशों का सैन्य गठबंधन अपने आईएस विरोधी सैनिक अभियान को लंबे समय से केवल हवाई कार्रवाई तक सीमित रखे हुए है। सऊदी अरब और उसके साथी देशों के हवाई हमलों से सत्ता पर पकड़ मजबूत करने में लगे हौथियों पर तुरंत कोई असर नहीं पड़ रहा।

सऊदी अरब के नेतृत्व वाले अंतरराष्ट्रीय गठबंधन के यमन में हवाई हमले से इस्लामी जगत के लंबे शिया–सुन्नी जंग में उलझ जाने का अंदेशा पैदा हो गया है। शिया चरमपंथी गुट हौथी को ईरान का समर्थन हासिल है। उसके खिलाफ सुन्नी देशों की ताजा कार्रवाई को ईरानी विदेश मंत्रालय ने यमन की संप्रभुता का उल्लंघन करार

दिया है। आईएसआईएस, हौथी और अलकायदा अपनी कट्टरपंथी विचारधारा के कारण उस पूरे इलाके में हिंसा और आतंकवाद का स्रोत बने हुए हैं। वर्ष 2011 में अरब देशों में राजनीतिक अस्थिरता शुरू होने के बाद से इराक, सीरिया और लीबिया के बाद यमन चौथा देश है जहां अराजकता के हालात बने हैं।

दरअसल, मध्य पूर्व के अन्य देशों की तरह की यमन की भी सबसे बड़ी बीमारी है शिया–सुन्नी दुश्मनी। यमन में 20–25 प्रतिशत शिया और 75 प्रतिशत सुन्नी हैं। पिछले ढाई वर्षो में वहां दूसरे राष्ट्रपति के देश छोड़कर भागने की नौबत आई है। पहले अब्दुल्ला अली सालेह और अब आबिद रब्बो मंसूर हादी। अरब प्रायद्वीप का यह धुर दक्षिणी देश पिछले कई सालों से बुरी खबरों को लेकर ही सुर्खियों में रहा है। अली अब्दुल्ला सालेह की तानाशाही में इसे शांति के कुछ साल जरूर मिले, लेकिन 2011–12 के लोकतंत्र के आंदोलन ने उनकी सरकार को संकट में ला दिया। इसके बाद यमन में कई शक्तियों को अपने लिए अवसर दिखाई देने लगे। सऊदी अरब को सबसे ज्यादा खतरा हौथी शिया विद्रोहियों से लग रहा है। उनका प्रभाव क्षेत्र सऊदी अरब की सीमा से सटा हुआ है, जहां ईरानी हथियारों की मौजूदगी उसके बर्दाश्त से बाहर है। यमन के पूर्वी और उत्तरी इलाकों में सक्रिय अलकायदा को भी सऊदी सत्ता अपने लिए बड़ा खतरा मानती है, लेकिन इस संगठन के सुन्नी जनाधार को किसी तरह संभाल ले जाने का भरोसा उसे है।

हौथी विद्रोहियों ने जिस तेजी से पहले यमन की राजधानी सना और फिर देश की आर्थिक राजधानी अदन पर कब्जा किया है, उससे लगता है उन्हें ईरान के अलावा पूर्व राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह का समर्थन भी प्राप्त है। सबसे बड़ी बात यह कि जिन–जिन इलाकों पर हौथी विद्रोहियों का कब्जा हो रहा है, वहां–वहां यमनी सेना की टुकड़ियां भी उनके साथ हो जा रही हैं। इसके बावजूद हौथियों का रास्ता आसान नहीं है। आईएस और अलकायदा की बढ़ती ताकत से उत्तर अफ्रीका और पश्चिम एशिया में राजनीतिक अस्थिरता की आशंका बढ़ती जा रही है। इस क्षेत्र में गजब का राजनीतिक ध्रुवीकरण हुआ है।

सऊदी अरब सुन्नी शक्ति और ईरान शिया शक्ति के रूप में उभरा है जिनके इर्द–गिर्द सुन्नी और शिया देश व संगठन इकट्ठा हो गए हैं। इससे शिया–सुन्नी दुश्मनी ने नया आयाम ले लिया है। यूं तो शिया–सुन्नी दुश्मनी काफी पुरानी है, लगभग उतनी ही पुरानी जितना पुराना इस्लाम है। बावजूद दोनों अच्छे पड़ोसी की तरह रहते रहे। लेकिन मध्य पूर्व का जनसंख्या संतुलन कुछ ऐसा है कि जहां सुन्नी बहुमत में थे वहां शिया शासक थे और जहां शिया बहुसंख्यक थे वहां सुन्नी शासक रहे। लेकिन तब कुछ तानाशाहों ने इन अंतर्विरोधों को संभाले रखा। परंतु मध्य पूर्व में जब लोकतांत्रिक क्रांति शुरू हुई और तानाशाह हटाए गए, वहां अराजकता का दौर आ गया और कुछ देशों में पुराने झगड़े फिर उभर आए जिनमें एक शिया–सुन्नी दुश्मनी भी थी।

इसी उथल–पुथल का फायदा उठा कट्टर सुन्नी संगठन आईएस ने सीरिया व इराक की जमीन पर कब्जा कर अलग राष्ट्र बना डाला। आईएस शियाओं का कट्टर दुश्मन है। इराक, सीरिया व अन्य देशों में अब तक शिया–सुन्नी दुश्मनी लाखों लोगों की जान ले चुकी है। हौथी विद्रोही सुन्नियों पर जुल्म ढा कर मामले को और उलझा रहे हैं। नतीजा, मध्यपूर्व में शिया व सुन्नी जिहाद के बीच टकराव हो रहा है। ईरानी क्रांति के बाद मुस्लिम जगत के राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। इसके कारण पहली बार शियाओं में अभूतपर्व आत्मविास आया है। सदियों तक सुन्नियों के छोटे भाई की तरह रहने वाले शिया अब उनके प्रतिद्वंदी बनकर उभरे हैं और दोनों के बीच की खाई चौड़ी हो रही है।

एक और बात कि दुनिया के बाकी इस्लामी देशों में भले सुन्नी बहुसंख्यक हों, लेकिन कई खाड़ी देशों में शिया बहुसंख्यक हैं। बाकी देशों में भी उनकी अच्छी–खासी तादाद है। इसलिए राजनीतिक वर्चस्व के लिए भी उनमें टकराव होता रहता है जिसे ईरान और सऊदी अरब की प्रतिद्वंद्विता हवा देने का काम करती है। इस क्षेत्र में लगातार विस्फोटक बनती समस्याओं का एक ही समाधान है कि शिया–सुन्नियों के बीच की दुश्मनी खत्म हो। वैसे सऊदी अरब के पैट्रो डालर से दुनियाभर में फैले वहाबी आंदोलन से स्थिति पेचीदा हो गई है। वहाबियों ने उन सभी मुसलमान समुदायों को गैर–मुस्लिम करार दिया है जो इस्लाम में किसी तरह के बदलाव की कोशिश करते हैं। समाधान का एक ही रास्ता है कि शिया–सुन्नी भाईचारा कायम हो। विश्व मुस्लिम समुदाय दोनों पर दबाव डाल उन्हें सहअस्तित्व के लिए मना सकता है ताकि खूनखराबा बंद हो। यह काम आसान नहीं है, मगर असंभव भी नहीं है। यही एक रास्ता है जिससे इस क्षेत्र में शांति और सद्भाव सुनिश्चित किया जा सकता है। ❑

बढ़ती असमानता की चुनौतियाँ

भारत में गांवों से शहरों की ओर तेजी से बढ़ता पलायन दुनिया के सभी देशों की तुलना में अधिक है। आंतरिक पलायन करने वाली आबादी की संख्या वर्ष 2011 की जनगणना में 40 करोड़ को पार कर गई। गांवों से शहरों में आने वाले लोग अपेक्षाकृत अशिक्षित और अकुशल होते हैं। निम्न स्तरीय काम करते हैं, जिनमें उन्हें मजदूरी भी कम मिलती है। शहरों में अमीरी और गरीबी के बीच बड़ी विषमता का दूसरा बड़ा कारण शहरों में स्थापित निजी क्षेत्र के उद्योगों के आला अफसर और अदने कर्मचारी के वेतन में जमीन–आसमान का अंतर है।

■ जयंतीलाल भंडारी

वैश्विक और राष्ट्रीय परिदृश्य पर हाल में ऐसी कई महत्वपूर्ण रिपोर्टें प्रकाशित हुई हैं, जो एक ओर भारत में तेजी से धनकुबेरों की संख्या बढ़ने की बात कह रही हैं, वहीं दूसरी कई रिपोर्टें तेजी से आर्थिक असमानता बढ़ने का अहसास करा रही हैं। हाल ही में बीते मार्च माह को नाइट फ्रैंक वैल्था ने विश्व में बढ़ती धनकुबेरों की संख्या से संबंधित अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत में धन कुबेरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वहीं कहा गया कि प्रति लाख आबादी में 0.1 अत्यधिक धनी व्यक्ति के साथ धन के वितरण के मामले में भारत की रैंकिंग 97 देशों में 84वें पायदान पर है।

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में अत्यधिक धनी लोगों की संख्या 2004 में 622 थी, जो 2014 में बढ़कर 1,652 पर पहुंच गई थी। यह 166 प्रतिशत की वृद्धि है। यह संख्या वर्ष 2024 तक 104 प्रतिशत बढ़कर 3,371 पहुंचने की संभावना है। यह भी कहा गया है कि तीन दशक में पहली बार भारत में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था के लिए जो सकारात्मक परिदृश्य निर्मित हुआ है, उससे भारत में संपत्ति सृजन में तेज वृद्धि होने की संभावना है।

अंतरराष्ट्रीय संस्थान इन्वेस्टमेंट बैंक क्रेडिट सुईस द्वारा प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान भारतीयों का औसत धन तकरीबन दो लाख 70 हजार रुपये हो गया है। अब भारत नियंत्रण स्तर पर संपत्ति सृजन में योगदान करने वाला दुनिया का छठे क्रम का सबसे बड़ा देश बन गया है।

इसी तरह, अमेरिकी मैग्जीन फोर्ब्स में प्रकाशित नियंत्रण रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के धनकुबेर की सूची में भारत एशिया और विकासशील देशों में अग्रणी देश बन गया है। निश्चित रूप से वर्ष 2015 के बाद भारत में तेज आर्थिक विकास की संभावना की रिपोर्ट दिखाई दे रही है। ऐसे में देश में आर्थिक असमानता की चुनौती को भी ध्यान में रखना होगा।

सर्वेक्षण में पाया गया है कि जहां ग्रामीण इलाकों की सबसे गरीब 10 प्रतिशत आबादी आज भी रोजाना 17 रुपये से कम पर गुजर–बसर करने को मजबूर है, वहीं शहरी इलाकों की सबसे गरीब 10 प्रतिशत आबादी का प्रति व्यक्ति दैनिक खर्च भी मात्र 23.40 रुपये है। शहरी इलाकों में 70 प्रतिशत आबादी करीब 43.16 रुपये प्रतिदिन खर्च करती है जबकि ग्रामीण इलाकों की आधी आबादी रोजाना 34.33 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च करके गुजर–बसर करती है।

वस्तुतः भारत में आर्थिक असमानता के दो पहलू हैं। एक, शहरों में अमीरी–गरीबी के बीच तेजी से बढ़ती आर्थिक असमानता और दो, शहरी और ग्रामीण इलाकों के बीच बढ़ती आर्थिक असमानता। यदि हम देश के शहरों में अमीरी और गरीबी के बीच असमानता से संबंधित योजना आयोग के वर्ष 2011–12 के आंकड़ों को देखें तो पाते हैं कि शहरी क्षेत्रों में अमीरों और गरीबों के बीच में आर्थिक असमानता अब तक के सर्वोच्च स्तर पर है। खास तौर से देश के 10 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उडीसा, कर्नाटक, केरल और असम में तो शहरी क्षेत्रों में अमीरी और गरीबी के बीच ऊंचाई पर पहुंची असमानता आर्थिक–सामाजिक चुनौती बन गई है।

यदि हम लोगों के आर्थिक असमानता के स्तर को मापने वाले सूचकांक की ओर देखें तो पाते हैं कि 2011–12 में शहरी क्षेत्रों में असमानता का स्तर बढ़कर 0.37 स्थिरांक हो गया। यह वर्ष 2004–05 में 0.35 के स्तर पर था। इसके पहले 1999– 2000 में स्थिरांक 0.30 से भी नीचे था। जैसे– जैसे स्थिरांक बढ़ रहा है, शहरी गरीबों की

आर्थिक–सामाजिक मुश्किलें बढ़ रही हैं। निस्संदेह देश के शहरों में अमीरों और गरीबों के बीच चौड़ी हुई खाई का सबसे बड़ा कारण ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोगों द्वारा पलायन कर शहर की ओर बढ़ताहुआ रुख और उन्हें कम मजदूरी मिलना है। इस समय भारत के शहरों में रहने वाले एक तिहाई लोग वे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर आए हुए हैं।

भारत में गांवों से शहरों की ओर तेजी से बढ़ता पलायन दुनिया के सभी देशों की तुलना में अधिक है। आंतरिक पलायन करने वाली आबादी की संख्या वर्ष 2011 की जनगणना में 40 करोड़ को पार कर गई। गांवों से शहरों में आने वाले लोग अपेक्षाकृत अशिक्षित और अकुशल होते हैं। निम्न स्तरीय काम करते हैं, जिनमें उन्हें मजदूरी भी कम मिलती है। शहरों में अमीरी और गरीबी के बीच बड़ी विषमता का दूसरा बड़ा कारण शहरों में स्थापित निजी क्षेत्र के उद्योगों के आला अफसर और अदने कर्मचारी के वेतन में जमीन– आसमान का अंतर है। गौरतलब है कि भारत के शहरों में उच्च वेतन और निम्न वेतन के बीच बढ़ती हुई विषमता की स्थिति राष्ट्रीय एवं नियंत्रण सर्वेक्षणों से भी स्पष्ट दिखाई दे रही है।

ऑर्गनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक को–ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (आईसीडी) द्वारा जारी एक नवीनतम रिपोर्ट में बताया गया है कि उदारीकरण के पिछले चौबीस वर्षों में भारत के निजी क्षेत्र में उच्च पदस्थ अधिकारियों एवं निम्न स्तरीय कर्मचारियों के बीच वेतन–विषमता दुनिया में सबसे अधिक हो गई है। देश की शीर्ष कंपनियों में दिए जाने वाले वेतन से संबंधित एक महत्वपूर्ण अध्ययन से मालूम हुआ है कि कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों एवं कंपनियों के औसत कर्मचारियों के वेतन में 75 गुना अंतर है।

स्पष्ट है कि शहरों में कार्यरत निजी क्षेत्र के छोटे कर्मचारियों की मुट्ठियां पर्याप्त वेतन न मिलने के कारण बहुत खाली दिखाई दे रही हैं। देश के शहरी और ग्रामीण इलाकों के बीच भी आर्थिक विषमता तेजी से बढ़ी है। यह विषमता कितनी बढ़ गई है, इसका अनुमान एनएसएसओ के जुलाई 2011 से जून 2012 की अवधि के दौरान किए गए पारिवारिक खर्च के सर्वेक्षण से लगाया जा सकता है।

सर्वेक्षण में पाया गया है कि जहां ग्रामीण इलाकों की सबसे गरीब 10 प्रतिशत आबादी आज भी रोजाना 17 रुपये से कम पर गुजर–बसर करने को मजबूर है, वहीं शहरी इलाकों की सबसे गरीब 10 प्रतिशत आबादी का प्रति व्यक्ति दैनिक खर्च भी मात्र 23.40 रुपये है। शहरी इलाकों में 70 प्रतिशत आबादी करीब 43.16 रुपये प्रतिदिन खर्च करती है जबकि ग्रामीण इलाकों की आधी आबादी रोजाना 34.33 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च करके गुजर–बसर करती है।

इन रिपोर्ट ने भारत के परिप्रेक्ष्य में अर्थशास्त्र के इस सिद्धांत को लगभग नकार दिया है कि जब विकास से आमदनी बढ़ती है, तो उसका लाभ पहले पूंजी लगाने वाले उच्च वर्ग को मिलता है, लेकिन कुछ वर्षों में यह लाभ आम आदमी तक भी पहुंचता है। इतना ही नहीं, देश में जब आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की गई थी, तो कहा गया था कि रोजगार तेजी से बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकारी क्षेत्र में नौकरियों की संख्या घट गई। निजी क्षेत्र में भी रोजगार में कोई दमदार बढ़ोतरी नहीं हुई।

ऐसे में हमें देश की समृद्धि की प्रतीक विकास दर और अरबपतियों की बढ़ती संख्या पर खुश होने के बजाय आर्थिक विषमता और समाज के आम आदमी के दुःख–दर्द से संबंधित भयावह तस्वीर को बताने वाली रिपोर्ट पर अवश्य गौर करना चाहिए। हमें स्वीकार करना होगा कि देश में विकास का मौजूद रोडमैप लोगों के जीवन की पीड़ा नहीं मिटा पा रहा है। हमें ध्यान रखना होगा कि वैश्वीकरण की चकाचौंध में यदि गरीबों और निम्न मध्य वर्ग की बुनियादी जरूरतों की यथेष्ठ पूर्ति होगी तो ही इससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी और वे भी विकास में अपना योगदान दे सकेंगे। सरकार द्वारा यह भी ध्यान दिया जाना होगा कि वह आय–धन के वितरण की भारी असमानता को मिटाने के परिप्रेक्ष्य में कमजोर वर्ग के लोगों की आय बढ़ाने के कारगर प्रयास करे। ❑

इंटरनेट पर छाएगी अब भारतीय भाषाएं

आज हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के विस्तार का दायरा अभी भले ही इंटरनेट खोज और वॉयस सर्च तक सिमटा है, मगर उम्मीद यही है कि इस प्रयोग का असर जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसानों को मिलेगा, क्योंकि इंटरनेट पर हिंदी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में खेती से संबंधित बहुत ज्यादा सामग्री उपलब्ध नहीं है, और उनका अंग्रेजी ज्ञान सीमित है। ऐसे में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में इंटरनेट का प्रसार बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्र के किसान सबसे ज्यादा लाभान्वित होंगे।

■ मुकुल श्रीवास्तव

शुरुआत में किसी ने नहीं सोचा होगा कि इंटरनेट एक ऐसा आविष्कार बनेगा जिससे मानव सभ्यता का चेहरा हमेशा के लिए बदल जाएगा। आग और पहिए के बाद इंटरनेट ही वह क्रांतिकारी कारक है जिससे मानव सभ्यता के विकास को चमत्कारिक गति मिली। इंटरनेट के विस्तार के साथ ही इसका व्यावसायिक पक्ष भी विकसित होना शुरू हो गया। प्रारंभ में इसका विस्तार विकसित देशों के पक्ष में ज्यादा हुआ, पर जैसे–जैसे तकनीकी विकास होता गया, इंटरनेट ने विकासशील देशों की ओर रुख करना शुरू किया और नई–नई सेवाएं इससे जुड़ती चली गई।

भारत सही मायने में कन्वर्जेंस की अवधारणा को साकार होते हुए देख रहा है, जिसका असर तकनीक के हर क्षेत्र में दिख रहा है। भारत की विशाल जनसंख्या इस परिवर्तन के मूल में है। इंटरनेट पर अंग्रेजी भाषा का आधिपत्य खत्म होने की शुरुआत हो गई है। गूगल ने हिंदी वेब डॉट कॉम से एक ऐसी सेवा शुरू की है जो इंटरनेट पर हिंदी में उपलब्ध समस्त सामग्री को एक जगह ले आएगी। इसमें हिंदी वॉयस सर्च जैसी सुविधा भी शामिल है। गूगल का यह प्रयास ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंटरनेट से जोड़ने की दिशा में उठाया कदम है।

इस प्रयास को गूगल ने इंडियन लैंग्वेज इंटरनेट एलाइंस (आईएलआईए) कहा है। इसका लक्ष्य 2017 तक 30 करोड़ ऐसे नए लोगों को इंटरनेट से जोड़ना है जो इसका इस्तेमाल स्मार्टफोन या अन्य किसी मोबाइल फोन से करेंगे। गूगल के आंकड़ों के मुताबिक, अभी देश में अंग्रेजी भाषा समझने वालों की संख्या 19.8 करोड़ है, और इसमें से ज्यादातर लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। तथ्य यह भी है कि भारत में इंटरनेट बाजार का विस्तार इसलिए ठहर–सा गया है क्योंकि सामग्रियां अंग्रेजी में हैं।

अध्ययन यह भी बताता है कि अगले तीन साल में भारत दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा इंटरनेट उपभोक्ताओं को जोड़ेगा। इसमें देश के ग्रामीण इलाकों की बड़ी भूमिका होगी। मगर इंटरनेट उपभोक्ताओं की यह रफ्तार तभी बरकरार रहेगी जब इंटरनेट सर्च और अधिक सुगम बनेगी। यानी हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को इंटरनेट पर बढ़ावा देना होगा, तभी गैर अंग्रेजीभाषी लोग इंटरनेट से ज्यादा जुड़ेंगे।

आंकड़े बताते हैं कि इंटरनेट पर 55.8 प्रतिशत सामग्री अंग्रेजी में है, जबकि दुनिया की पांच प्रतिशत से कम आबादी अंग्रेजी का इस्तेमाल अपनी प्रथम भाषा के रूप में करती है। दुनिया के मात्र 21 प्रतिशत लोग ही अंग्रेजी की समझ रखते हैं। इसके बरक्स अरबी या हिंदी जैसी भाषाओं में, जो दुनिया में बड़े पैमाने पर बोली जाती हैं, इंटरनेट सामग्री क्रमशः 0.8 और 0.1 प्रतिशत ही उपलब्ध है। बीते कुछ वर्षों में इंटरनेट और विभिन्न सोशल नेटवर्किंग साइट्स जिस तरह लोगों की अभिव्यक्ति, आशाओं और अपेक्षाओं का माध्यम बनकर उभरे हैं, वह उल्लेखनीय जरूर है, मगर भारत की भाषाओं में जैसी विविधता है, वह इंटरनेट में नहीं दिखती।

आज 400 मिलियन भारतीय अंग्रेजी की बजाय हिंदी भाषा की ज्यादा समझ रखते हैं। लिहाजा भारत में इंटरनेट को तभी गति दी जा सकती है जब इसकी अधिकतर सामग्री हिंदी समेत अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में हो।

आज जानकारी का उत्तम स्रोत कहे जाने वाले प्रोजेक्ट विकीपिडिया पर तकरीबन 22000 पेज हिंदी भाषा में हैं ताकि भारतीय यूजर्स इसका उपयोग कर सकें। भारत में लोगों को इंटरनेट पर लाने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी पसंद का कंटेंट बनाना यानी उसे भारतीय भाषाओं को लाना। नियंत्रण परामर्श संस्था मैकेंजी का एक नया अध्ययन बताता है

कि 2015 तक भारत की जीडीपी में इंटरनेट 100 अरब डॉलर का योगदान देगा, जो 2011 के 30 अरब डॉलर के योगदान के तीन गुने से भी ज्यादा होगा।

अध्ययन यह भी बताता है कि अगले तीन साल में भारत दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा इंटरनेट उपभोक्ताओं को जोड़ेगा। इसमें देश के ग्रामीण इलाकों की बड़ी भूमिका होगी। मगर इंटरनेट उपभोक्ताओं की यह रफ्तार तभी बरकरार रहेगी जब इंटरनेट सर्च और अधिक सुगम बनेगी। यानी हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को इंटरनेट पर बढ़ावा देना होगा, तभी गैर अंग्रेजीभाषी लोग इंटरनेट से ज्यादा जुड़ेंगे। गूगल पिछले 14 सालों से 'सर्च' (खोज) पर काम कर रहा है। यह सर्च भविष्य में सबसे ज्यादा मोबाइल के माध्यम से की जाएगी।

विश्व भर में लोग अब ज्यादातर मोबाइल के माध्यम से इंटरनेट चला रहे हैं। बढ़ते स्मार्ट फोन के प्रयोग ने सर्च को और ज्यादा स्थानीयकृत किया है। वास्तव में खोज ग्लोबल से लोकल हो रही है जिसका आधार भारत में तेजी से बढ़ते मोबाइल इंटरनेट प्रयोगकर्ता हैं जो अपनी खोज में स्थानीय चीजों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। ये रुझान दर्शाते हैं कि भारत नेट युग की अगली पीढ़ी में प्रवेश करने वाला है जहां सर्च इंजन स्थानीयता को ध्यान में रखकर खोज प्रोग्राम विकसित करेंगे और गूगल ने स्पीच रेकग्नीशन टेक्नीक पर आधारित वायस सर्च की शुरुआत की है जो भारत में सर्च के पूरे परिदृश्य को बदल देगी। स्पीच रेकग्नीशन टेक्नीक लोगों को इंटरनेट के इस्तेमाल के लिए किसी भाषा को जानने की अनिवार्यता खत्म कर देगी। बढ़ते स्मार्ट फोन हर हाथ में इंटरनेट पहले ही पहुंचा रहे हैं।

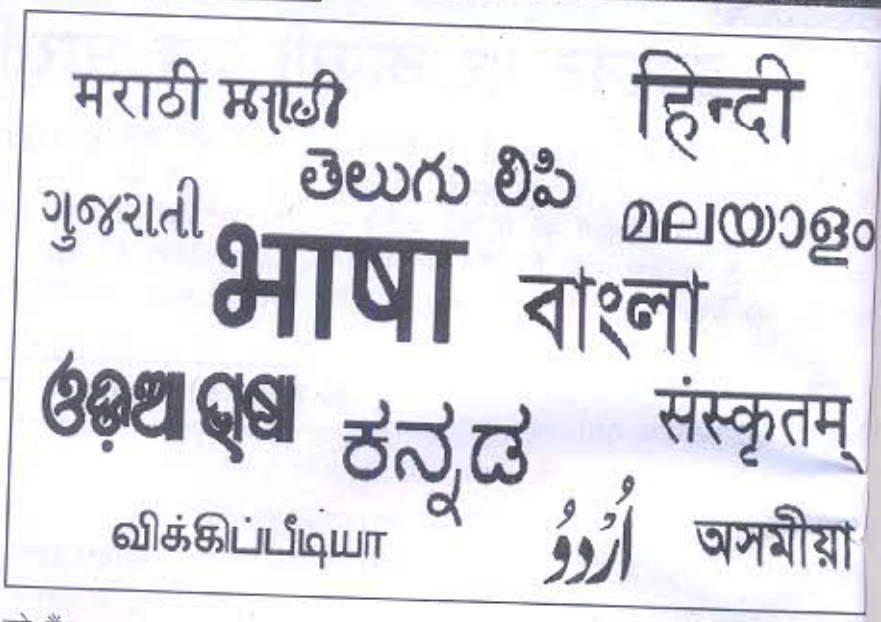

आंकड़ों की दृष्टि में ये बातें बहुत जल्दी ही हकीकत बनने वाली हैं। मैकेंजी का नया अध्ययन यह भी बताता है कि अगले तीन साल में भारत दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा इंटरनेट उपभोक्ताओं को जोड़ेगा और देश की कुल जनसंख्या का 28 प्रतिशत इंटरनेट से जुड़ा होगा, जो चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या समूह होगा। इसीलिए इंटरनेट अब सिर्फ अंग्रेजी भाषा जानने वालों का माध्यम नहीं रह जाने वाला है। हिंदी को शामिल करते हुए इस समय इंटरनेट की दुनिया बंगाली, तमिल, कन्नड़, मराठी, उड़िया, गुजराती, मलयालम, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू और तेलुगू जैसी भारतीय भाषाओं में काम करने की सुविधा देती है।

आज से दस वर्ष पूर्व ऐसा सोचना भी नामुमकिन जैसा माना जा सकता था, पर इस अन्वेषण के पीछे भारतीय इंटरनेट उपभोक्ताओं के बड़े आकार का दबाव काम कर रहा है। भारत जैसे देश में यह बड़ा अवसर है जहां मोबाइल इंटरनेट प्रयोगकर्ताओं की संख्या विश्व में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है। इंटरनेट हमारी जिंदगी को सरल बनाता है और ऐसा करने में गूगल का बहुत बड़ा योगदान है। आज किसान भी सभी नवीनतम तकनीकों को अपना रहे हैं और उन्हें सीख भी रहे हैं, लेकिन इन तकनीकों को उनके लिए अनुकूलित बनाना जरूरी है। इसमें भाषा और कंटेंट का मुद्दा बहुत अहम। इसलिए भारत में हिंदी और भारतीय भाषाओं में इंटरनेट के विस्तार पर बल दिया जा रहा है।

आज हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के विस्तार का दायरा अभी भले ही इंटरनेट खोज और वॉयस सर्च तक सिमटा है, मगर उम्मीद यही है कि इस प्रयोग का असर जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसानों को मिलेगा, क्योंकि इंटरनेट पर हिंदी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में खेती से संबंधित बहुत ज्यादा सामग्री उपलब्ध नहीं है, और उनका अंग्रेजी ज्ञान सीमित है। ऐसे में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में इंटरनेट का प्रसार बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्र के किसान सबसे ज्यादा लाभान्वित होंगे। ❑

क्षय मुक्त भारत बनाने में हम असफल क्यों?

टीबी शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है, लेकिन आम तौर पर फेफड़ों में ही सबसे अधिक होती है। दो सप्ताह या अधिक समय से खांसी होना इसका मुख्य लक्षण है। साथ में भूख कम, वजन कम, बलगम में रक्त और शाम के समय बुखार भी हो सकता है। देश में बढ़ता कुपोषण जहां इसे फलने–फूलने का पूरा मौका देता है, वहीं मधुमेह जैसी बीमारी इसके इलाज में आड़े आती है। बहरहाल, टीबी की भयावहता कम नहीं हुई है। डॉक्टर इलाज शुरू करने से पहले रोगी को समझाएं और उसकी आर्थिक स्थिति देखें कि क्या वह निजी तौर पर नियमित एवं पूरा इलाज करा सकता है कि नहीं? अगर नहीं, तो उसे शुरू में ही सरकार के डॉट्स कार्यक्रम के अंतर्गत मिलने वाले मुफ्त इलाज की सलाह दे, तभी टीबी पर विजय पायी जा सकती है।

■ रवि शंकर

आज देखा जाए तो दुनिया में हजारों बीमारियां हैं, जिनका निवारण बेहद जरूरी है लेकिन एड्स के बाद सबसे बड़ी जानलेवा बीमारी टीबी यानी क्षय रोग है जिसका निवारण तो मुमकिन है,

फिर भी हर साल हजारों लोग इसकी वजह से मर जाते हैं। पोलियो जैसी भयावह बीमारी पर बेशक हमने काबू पा लिया हो, लेकिन क्षय मुक्त भारत बनाने में अब भी बहुत पीछे हैं। दिन–प्रतिदिन बिगड़ती स्थिति के चलते ही राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के बाद राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम चलाना पड़ रहा है। टीकाकरण और उपचार का लाभ सभी नहीं ले पा रहे हैं। इसकी मुख्य वजह लोगों में जागरूकता का अभाव है। हालांकि इस दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

सरकार ने क्षय रोग पर नियंत्रण पाने के लिए सन् 1962 में राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम लागू किया था लेकिन स्थिति में संतोषजनक परिणाम देखने को नहीं मिले। क्षय रोगियों की बढ़ती संख्या से भारत ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व जूझता रहा है। इसे ध्यान में रखते सन् 1993 में डब्ल्यू.एच.ओ. ने टीबी को नियंत्रण महामारी घोषित किया। इसके बाद राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम का नाम बदलकर राष्ट्रीय क्षयरोग उन्मूलन कार्यक्रम कर दिया गया। नियंत्रण स्तर पर आकलन करें तो 22 देश इस बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित हैं। 22 देशों की इस सूची में भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया व इंडोनेशिया शामिल हैं। टीबी ग्रस्त नए मरीजों में करीब 3.6 प्रतिशत मरीज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट (एमडीआर) यानी टीबी की गंभीर अवस्था से जूझ रहे हैं। एमडीआर के ऐसे 50 प्रतिशत मामले भारत व चीन में हैं। दूसरी तरफ विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल लगभग 20 लाख लोग टीबीग्रस्त हो जाते हैं जिनमें से लगभग 9 लाख टीबी रोगियों से फैले संक्रमण के कारण इसकी चपेट में आते हैं। इनमें से 3 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्य हो जाती है। भारत सरकार द्वारा जारी टीबी इंडिया 2012 की वार्षिक स्टेट्स रिपोर्ट के अनुसार 2009 के आंकड़े दशार्ते हैं कि तकरीबन 40 प्रतिशत भारतीय टीबी से संक्रमित हैं और देश में हर डेढ़ मिनट में एक व्यक्ति की मृत्यु टीबी से हो रही है। पूरे विश्व में प्रतिवर्ष 18 लाख व्यक्ति इस रोग से मरते हैं। टीबी से देश का आर्थिक विकास भी प्रभावित होता है।

ये आंकड़े इस बात का प्रमाण हैं कि आज भी टीबी की बीमारी भारत में गंभीर समस्या के रूप में व्याप्त है और इसका सबसे बड़ा कारण है जागरूकता की कमी। गौर करने वाली बात यह है कि टीबी की बीमारी से मरने वाले 95 प्रतिशत लोग विकासशील देशों से हैं

और टीबी से इन देशों का आर्थिक विकास भी प्रभावित होता है।

आज भारत देश में प्रतिवर्ष इसके कारण 12000 करोड़ रुपयों का नुकसान होता है और 17000 करोड़ कार्य दिवस का घाटा होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में टीबी यानी क्षयरोग का मुकाबला सफलतापूर्वक किया जा रहा है लेकिन अफ्रीका और यूरोप में हालात बहुत चिंताजनक हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 1990 के बाद दुनिया भर के ज्यादातर इलाकों में टीबी के मामलों में 20 प्रतिशत की कमी हुई है जबकि अफ्रीका में टीबी के मरीजों की संख्या में तीन गुना की बढ़ोत्तरी हुई है। क्षय अथवा टीबी एक घातक और संक्रामक बीमारी है। सच तो यह है कि तमाम प्रयासों और चिकित्सा विज्ञान की प्रगति के बावजूद यह आज भी देश के लिए एक गंभीर समस्या और चुनौती बनी हुई है। ऐसे में सभी लोगों को इसके प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है।

टीबी के जीवाणु टीबी संक्रमित व्यक्ति की सांस द्वारा स्वस्थ व्यक्ति की सांस से उसके शरीर में प्रवेश कर उसे भी टीबी का रोगी बना देते हैं। इसके जीवाणु का नाम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, जिसकी खोज वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने 24 मार्च, 1882 को थी। शुरू में इसे लेकर समाज में अनेक भ्रांतियां थीं। लाइलाज एवं जानलेवा बीमारी के तौर पर जानी जाने वाली इस बीमारी को अभिशाप समझा जाता था, लेकिन आज इसका पक्का इलाज उपलब्ध है। बचाव के लिए बीसीजी का टीका है। इस पर नियंत्रण पाने के लिए देश भर में डॉट्स नामक एक विशेष कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। इस दिशा में सरकार पूरी तरह गंभीरता बरत रही है। बेशक चिंता और भय की कोई जरूरत नहीं दिखती, फिर भी यह बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है।

सबसे बड़ी विडंबना यह कि समाज क्षय रोगियों को हीन दृष्टि से देखता है। दरअसल क्षय रोगी नहीं चाहता कि किसी को उसकी बीमारी का पता चले, इसलिए पहले वह अपनी बीमारी छिपाने का हरसंभव प्रयास करता है और इसी वजह से समय पर इलाज नहीं कराता। और अगर कराता भी है, तो विलंब से। नतीजतन सामने मौत खड़ी होती है। हालांकि टीबी का इलाज लंबा है और महंगा भी, इसलिए रोगी कभी ऊबकर, तो कभी आर्थिक तंगी के चलते इलाज छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। कभी–कभी दवा के दुष्प्रभाव भी उसे इलाज छोड़ने के लिए बाध्य कर देते हैं।

समाज क्षय रोगियों को हीन दृष्टि से देखता है। दरअसल क्षय रोगी नहीं चाहता कि किसी को उसकी बीमारी का पता चले, इसलिए पहले वह अपनी बीमारी छिपाने का हरसंभव प्रयास करता है और इसी वजह से समय पर इलाज नहीं कराता। और अगर कराता भी है, तो विलंब से। नतीजतन सामने मौत खड़ी होती है।

एक बड़ा सच यह भी है कि देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की बहुत कमी है। बड़ी संख्या में लोग नीम–हकीमों और झोलाछाप डॉक्टरों के सहारे हैं जो रोग का सही इलाज नहीं कर पाते। इस तरह बड़ी संख्या में क्षय रोगी जाने–अनजाने पूरा और सही इलाज नहीं करा पाते हैं। उनमें टीबी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट (एमडीआर) या कहें कि क्षय जीवाणु मुख्य प्राथमिक क्षय औषधियों, रिफॉम्पिसिन एवं आइसोनियाजिड से लड़ने में सक्षम हो जाते हैं और फिर अन्य लोगों को भी अपना शिकार बनाते हैं। टीबी का इलाज कम से कम दो वर्ष से अधिक चलता है, और खर्च भी लाखों में आता है। हर आदमी इस रोग से लड़ सके, इससे निजात पा सके, इसके लिए सरकार डॉट्स प्लस कार्यक्रम धीरे–धीरे पूरे देश में लागू कर रही है, लेकिन टीबी को एमडीआर होने से रोकने के लिए हम सबको आगे आने की जरूरत है। एमडीआर टीबी का सही इलाज न होने पर वह और भी खौफनाक एक्सडीआर हो जाती है। इसका प्रभाव अभी अमेरिका, अफ्रीका एवं यूरोप के देशों में अधिक बताया जाता है, लेकिन चीन और रूस के साथ–साथ भारत भी इसके सीधे निशाने पर है।

टीबी शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है, लेकिन आम तौर पर फेफड़ों में ही सबसे अधिक होती है। दो सप्ताह या अधिक समय से खांसी होना इसका मुख्य लक्षण है। साथ में भूख कम, वजन कम, बलगम में रक्त और शाम के समय बुखार भी हो सकता है। देश में बढ़ता कुपोषण जहां इसे फलने–फूलने का पूरा मौका देता है, वहीं मधुमेह जैसी बीमारी इसके इलाज में आड़े आती है। बहरहाल, टीबी की भयावहता कम नहीं हुई है। डॉक्टर इलाज शुरू करने से पहले रोगी को समझाएं और उसकी आर्थिक स्थिति देखें कि क्या वह निजी तौर पर नियमित एवं पूरा इलाज करा सकता है कि नहीं? अगर नहीं, तो उसे शुरू में ही सरकार के डॉट्स कार्यक्रम के अंतर्गत मिलने वाले मुफ्त इलाज की सलाह दे, तभी टीबी पर विजय पायी जा सकती है। ❑

भारतीय नववर्ष

(विक्रम सम्वत् एवं शालिवाहन शक)

भारत में समय–समय पर विविध वर्षों (सम्वत्सरों या शकों) का प्रचलन आरम्भ हुआ जिनके पीछे महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक या पौराणिक कारण रहे। इनमें ध्रुव सम्वत्, कोलम्ब या परशुराम सम्वत् (6177 ई.पू.), युधिष्ठिर सम्वत् (3139 ई.पू.), कलि सम्वत् (3102 ई.पू.), विक्रम सम्वत् (57 ई.पू.) प्रमुख हैं।

■ डॉ. श्यामदेव मिश्र

'सम्वसन्ति ऋतवः यस्मिन् स सम्वत्सरः' अर्थात् जिस कालखण्ड में सभी ऋतुओं की एक बार प्रवृत्ति हो जाये वही 'सम्वत्सर' है। इसका छोटा रूप सम्वत् है। इस प्रकार सम्वत्सर, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर भ्रमण का काल अर्थात् आर्तव सौर वर्ष (Tropical Solar Year) है। सृष्टि की उत्पत्ति एवं सम्वत्सर या वर्ष का आरम्भ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से माना जाता है।

ब्रह्मपुराण के अनुसार : *चैत्रे मासि जगद् ब्रह्मा ससर्ज प्रथमेऽहनि। शुक्लपक्षे समग्रं तत्तदा सूर्योदये सति।*

संवत्सर के अन्य नाम 'प्रजापति', 'महान्' एवं 'क' हैं – ***प्रजापति सम्वत्सरो महान् कः*** (तै. ब्राह्म. 3/1/1)।

सम्वत्सर एवं शक दोनों ही वर्ष के पर्याय हैं। अतः 'शक–सम्वत्' ऐसा कहना नितान्त दोषपूर्ण है। इसकी जगह शालिवाहन शक एवं विक्रम सम्वत् (वर्तमान में प्रचलित) कहना शुद्ध एवं तर्क संगत है।

भारत में समय–समय पर विविध वर्षों (सम्वत्सरों या शकों) का प्रचलन आरम्भ हुआ जिनके पीछे महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक या पौराणिक कारण रहे। इनमें ध्रुव सम्वत्, कोलम्ब या परशुराम सम्वत् (6177 ई.पू.), युधिष्ठिर सम्वत् (3139 ई.पू.), कलि सम्वत् (3102 ई.पू.), विक्रम सम्वत् (57 ई.पू.) प्रमुख हैं। इसके अलावा जैन युधिष्ठिर शक (2624 ई.पू.), नन्द शक (1504 ई.पू.), शूद्रक शक (756 ई.पू.), चाहमान शक (612 ई.पू.) तथा शालिवाहन शक (78 ईसवी) प्रमुख हैं। इनमें से कुछ की चर्चा निम्नलिखित है –

युधिष्ठिर सम्वत् (3139 ई.पू.)

यह सम्वत् माघ शुक्ल प्रतिपदा को युधिष्ठिर के राज्याभिषेक से आरम्भ हुआ। इनके अभिषेक के पांच दिन बाद माघ शुक्ल सप्तमी को उत्तरायण हुआ जिसके बाद पितामह भीष्म ने शरीर त्याग किया।

कलि सम्वत् (3102 ई.पू.)

भगवान श्रीकृष्ण के पार्थिव देहावसान के 36 वर्ष बाद 17/18 फरवरी, 3102 ई.पू. को माघ शुक्ल पक्ष से उज्जैन में मध्य रात्रि से कलिसम्वत् प्रारम्भ हुआ। कलियुग के आरम्भ में पुराणों एवं वेदों की शाखाओं का संकलन नैमिषारण्य, उ.प्र. में स्थित शौनक ऋषि के आश्रम में प्रारम्भ हुआ।

विक्रम सम्वत् (57 ई.पू.)

भविष्य पुराण (3/1/7/14–18) के अनुसार कलियुग के आरम्भ से 3000 वर्ष बाद, भगवान शिव के आशीर्वाद से परमार वंश के राजा गंधर्वसेन के पुत्र के रूप में दिव्य–शक्ति–सम्पन्न राजा विक्रमादित्य का जन्म 101 ई.पू. में हुआ। इन्होंने शकों का विध्वंस करके सनातन धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की। कलि 3020 वर्ष (82 ई.पू.) में विक्रमादित्य उज्जैन के सिंहासन पर बैठे। राज्याभिषेक 25 वर्ष बाद उन्होंने कलि 3044 (57 ई.पू.) में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से विक्रम सम्वत् का आरम्भ (शालिवाहन शक से 135 वर्ष पूर्व) किया। परम्परा अनुसार इस दिन राजा विक्रमादित्य ने प्रजा को राजकीय ऋणों से मुक्त कर दिया था। अतः प्रजा ऋणमुक्त होकर सोल्लास नवसम्वत्सर का स्वागत करती थी। 101 वर्ष के शासन के बाद कलि 3120 या 19 ई. में इनका स्वर्गारोहण हुआ।

इस प्रकार नये विक्रम सम्वत्सर का आरम्भ प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से माना जाता है जो कि होली (फाल्गुन पूर्णिमा) के 15 दिन बाद आरम्भ होता है। नव–सम्वत्सर या नववर्ष (विक्रम सम्वत् 2072) का नाम **कीलक** है।

इसके अलावा गुजरात में विक्रम सम्वत् का प्रारम्भ दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से माना जाता है। इसका आरम्भ भी विक्रमादित्य ने अपने शासनकाल में समुद्रीमार्ग से व्यापार में सुविधा को देखते हुए विशेषकर व्यापारियों के लिए किया।

नववर्ष एवं नवरात्र कब मनावें

चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से वर्ष का आरम्भ होता है। यह उदयव्यापिनी ग्राह्य है अर्थात् यदि सूर्योदय के समय प्रतिपदा है तो उसी दिन नववर्ष (विक्रम सम्वत्सर) का आरम्भ माना जायेगा। यदि दो दिन सूर्योदय में प्रतिपदा हो अथवा दोनों ही

दिन सूर्योदय में प्रतिपदा ना हो तो पूर्व दिन ही नवसम्वत्सर का आरम्भ मानना चाहिये। यदि चैत्र मास में 'मलमास' (अधिमास) आ जाये तो वर्षारम्भ नूतन सम्वत्सर का उच्चारण आदि मलमास के प्रतिपदा में कर सकते हैं किन्तु नवरात्र का आरम्भ शुद्ध चैत्र मास की प्रतिपदा में ही होगा। यदि इस दिन प्रतिपदा न हो तथा अगले दिन एक मुहूर्त (48 मिनट) भी हो तो दूसरे दिन नवरात्रि का प्रारम्भ मानना चाहिये।

मत्स्य जयन्ती

चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही कल्प का आरम्भ हुआ। इस दिन भगवान का मत्स्यावतार हुआ। अतः इसे 'मत्स्य जयन्ती' भी कहते हैं।

क्या करें क्या ना करें

इस दिन तैलाभ्यंग (तेल की मालिश, उबटन इत्यादि) अवश्य करना चाहिये। इस मास में दूध, दही, घी, मधु (शहद) का सेवन नहीं करना चाहिए एवं नित्य दम्पति–पूजन कर गौरी व्रत का पालन करना चाहिये। इसे ही राजस्थान में 'गणगौरि' या 'गणगौर' कहते हैं।

शालिवाहन शक (78 ईसवी)

कालिदास के अनुसार शक जाति का नाश करने वाला राजा शक कारक होता है। अतः विक्रमादित्य के पौते शालिवाहन को 'शकारि' की उपाधि प्राप्त थी। विक्रमादित्य के देहान्त के बाद विदेशी आक्रमणकारियों का आतंक भारतवर्ष में बढ़ गया था जिसका अन्त विक्रमादित्य के पौत्र शालिवाहन ने किया एवं शक आदि विदेशी आक्रान्ताओं को सिन्धु के पश्चिम में भगा दिया। इसी समय से शालिवाहन शक का आरम्भ, विक्रम सम्वत् से 135 वर्ष बाद (78 ई.) से हुआ। शालिवाहन शक का आरम्भ मेषादि सौर मास से होता है। ❑

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि "स्वदेशी पत्रिका" के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740 IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram) में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

गाँव समाज और खेतीबाड़ी टूटी तो बढ़ेगी बेरोजगारी

लगभग साठ फीसदी आबादी देश में सीधे या परोक्ष ढंग स्थाई या कैजुअली खेतीबाड़ी में ही काम–रोजगार पा रही है। मुश्किल से एक फीसदी हैं उद्योगपति, सत्ताधारी राजनेता और भ्रष्ट नौकरशाह जो आपसी साठगांठ के बूते पर बाकी सबकी कुल सम्पदा से ज्यादा पर कुंडली मारे हैं। काश! मोदी सरकार खेतीबाड़ी को प्राथमिकता देकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का सहयोग उद्योग जगत को देती है, वहीं खेतीबाड़ी को दें तो नागरिकों को रोजगार मिलेगा।

■ राजकमल त्यागी

आजादी से पूर्व एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी को सरकार तथा जूट, रेलवे वगैरह उद्योगों में काम करने के लिए कर्मचारी, मजदूर और फिरंगियों को सेवादार नहीं मिल रहे थे। यहां की पूर्व व्यवस्था में न कोई बेकार था और न भिखारी। इसका प्रमाण तो लार्ड मैकाले द्वारा ब्रिटिश कौंसिल में प्रस्तुत की गयी 1832 ईस्वी की रपट है। इस दस्तावेज में बताया गया कि हर गाँव कासमाज अपने जल–जंगल–जमीन के रकबे पर सामूहिक मालिकाने की वजह से आत्मनिर्भर था। उसका अठगंवा तथा तीर्थ–मेले दस्ताकारी का सामान लोग अपनी उपज के बदले पा जाते थे। फसलाना व्यवस्था लागू थी। राजा सहित सभी कारदारों का भाग दिया जाता था।

प्लासी का जंग जीतकर 1757 ई० में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जल–जंगल–जमीन पर कम्पनी सरकार की संप्रभुता की घोषणा के साथ की गयी। इसे ठोस रूप देने के लिए 1793 में स्थाई बन्दोबस्त का कानून लागूकर खेतीबाड़ी की जमीनों के नकद लगान वसूली के लिए ज़मींदार नियुक्त किये। खेतीबाड़ी न कर रहे किसानों के सहयोगी साझीदार दस्तकारों को जमीनों से बेदखल करार दिया गया। इन बेदखल लोगों को गांव समाज से मुक्ति के कानून के साथ वेतनभोगी बनाकर सरकारी आदमी घोषित कर उसका रूतबा बढ़ा और माली हालत भी।

उद्योगों के लिए मजदूर भी मिलने लगे। शहर बसने लगे। स्कूल और हस्पताल कायम हुये। फौज भी खड़ी हुयी। ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार होता गया। गवर्नर फिर प्रेज़ीडेंसी कई बनीं तो गवर्नर, जनरल की नियुक्ति हुई। ये सब कंपनी के वेतनभोगी थे। इनके तबादले, रिटायरमेंट आदि होने लगे। राजाशाही का खात्मा हुआ और कानून के नाम से नई राजव्यवस्था राजसत्ता वजूद में आयी। बराबरी का दर्जा मिला। पद और वेतनक्रम से सीनियर जूनियर की बात चल निकली। पूर्व परम्परा की बन्दिश टूटी तो आजादी भाव नागरिकों में जागा।

मौजूदा मोदी सरकार भूमि अधिग्रहण कानून लागू करके, विकास के नाम पर, बेरोजगारों की तादाद बढ़ाएगी। क्या रुपया रोटी से बड़ा हो सकेगा? खेती गयी तो रोटी कहाँ! हकीकत में मौजूदा भारत में दस फीसदी जनसंख्या ही राजसत्ता के संगठित क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र के प्रबंधन में सफेदपोश बनकर सम्पन्न है। तीस फीसदी तरह–तरह से कमीशन, दलाली–ब्रोकरी, शुल्क फीस आदि पर सेवाएं दे रहे हैं।

इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आईसीएस रिटायर्ड अफसरों ने संगठित की, इसको बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवादी आंदोलन की दिशा दी। परंतु भूमि अधिग्रहण बिल 1834 ई० के तहत विस्थापन होकर बड़ी तादाद में गांववासी बेरोजगारों की आरक्षित सेना में शामिल होकर सरकारी या प्राइवेट क्षेत्र की नौकरियां पाने के लिए अर्जियां देते–लगाते रहे। मध्यम वित्त वर्ग के घरों के लाड़ले वकील, राजनेता आदि बनते गये। कुछ समाजसेवी और समाज सुधारक भी। भारत–पाक विभाजन के साथ हम ब्रिटिश कालोनी से प्रत्यक्षतः मुक्त हो गये।

आजाद भारत में आधारभूत उद्योगों, बाँधों, सड़कों, रेलवे आदि के लिए बहुत संख्या में शारीरिक–बौद्धिक श्रम बेचने वाली नफ़री की जरूरत थी तो कृषि क्षेत्रों की चकबन्दी का अभियान कम से कम ढाई फीसदी भूमि ग्रहण के नियम के साथ हुआ। जमींदार उन्मूलन कर सीलिंग एक्ट लागू करके भूमि सुधार कानून बना। इन सबके नतीजे में बेदखल अनौपचारिक जलीय खेती करते धींवर–कश्यप पूरी तरह बेरोजगार हुये। परंपरागत वनोपज पर निर्भर वनवासी भी इसी श्रेणी में आ गये।

भारत में श्रम इतना सस्ता हो गया कि सभी उद्योगपतियों के मुंह से लार टपकने लगी कि लागत घटे तो लाभ

बढ़ता साफ दिखता है। नरसिंह राव और मनमोहन सिंह की जोड़ी ने 1991 को उदारीकरण–वैश्वीकरण के रास्ते पूंजी निवेश के वास्ते लाल कार्पेट बिछाया। तब से अब तक कई लाख किसान स्वाभिमानी होने से कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या कर चुके हैं जबकि इससे पहले कृषि मंत्री किदवई के सूत्र 'जितने रुपए मन चीनी, उतने ही आने मन गन्ना' भाव पर अमल होने से गाँव भट्टे की पक्की ईंटे लगने से रौनक पाये थे। फिर इंदिरा गांधी, चरण सिंह, प्रधानमंत्रित्व के बाद चुनी गयी सरकार के पहले एडीओ, बीडीओ स्तर की नौकरी छोड़ ऐसे लोगों ने खेतीबाड़ी शुरू की थी जो दो हेक्टेयर जोत से अधिक सिंचित जमीन के मालिक थे। इसके उलट अब खेतीबाड़ी बुरी तरह घाटे का सौदा बन गयी है। जमीन बेचकर किसान अपनी औलादों को शिक्षित–प्रशिक्षित करके बेरोजगारों की कतारों में खड़े कर रहे हैं। कारपोरेट कंपनियां इनको काम देती दिखती है – मगर कितना!

भारत में श्रम इतना सस्ता हो गया कि सभी उद्योगपतियों के मुंह से लार टपकने लगी कि लागत घटे तो लाभ बढ़ता साफ दिखता है। नरसिंह राव और मनमोहन सिंह की जोड़ी ने 1991 को उदारीकरण–वैश्वीकरण के रास्ते पूंजी निवेश के वास्ते लाल कार्पेट बिछाया। तब से अब तक कई लाख किसान स्वाभिमानी होने से कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या कर चुके हैं...

मौजूदा मोदी सरकार भूमि अधिग्रहण कानून लागू करके, विकास के नाम पर, बेरोजगारों की तादाद बढ़ाएगी। क्या रुपया रोटी से बड़ा हो सकेगा? खेती गयी तो रोटी कहाँ! हकीकत में मौजूदा भारत में दस फीसदी जनसंख्या ही राजसत्ता के संगठित क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र के प्रबंधन में सफेदपोश बनकर सम्पन्न है। तीस फीसदी तरह–तरह से कमीशन, दलाली–ब्रोकरी, शुल्क फीस आदि पर सेवाएं दे रहे हैं। लगभग साठ फीसदी आबादी देश में सीधे या परोक्ष ढंग स्थाई या कैजुअली खेतीबाड़ी में ही काम–रोजगार पा रही है। मुश्किल से एक फीसदी हैं उद्योगपति, सत्ताधारी राजनेता और भ्रष्ट नौकरशाह जो आपसी साठगांठ के बूते पर बाकी सबकी कुल सम्पदा से ज्यादा पर कुंडली मारे हैं। काश! मोदी सरकार खेतीबाड़ी को प्राथमिकता देकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का सहयोग उद्योग जगत को देती है, वहीं खेतीबाड़ी को दें तो नागरिकों को रोजगार मिलेगा। किसान को बहैसियत डायरेक्टर मैनेजर मासिक उजरत तय कर खेती की उपज की लागत में जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण करें तो खेती से जुड़ी 60 प्रतिशत आबादी सम्पन्न होगी यानी पूरा राष्ट्र ही। खाद्यान्न की प्राप्ति की भी गारंटी सबके लिए होगी। इस तबके की क्रयशक्ति बढ़ेगी तो सबको बाजार मिलेगा। तो फिर भारत देश में बेकार–बेरोजगार और भिखारी ढूंढ़े नहीं मिलेगा। कुपोषित दोषी यहां न रहेगा। खेतीबाड़ी की जीवनशैली समाज बनाती है। अतः अपराध भी मिटेगा और बलात्कार भी। प्रकृति के साथ मैत्री पनपेगी। पशु, पक्षी तथा फलदार पेड़ चारों तरफ होंगे। यही जीवन्त जगत का प्रमाण है। ❑

देश की जनता का पेट भरने वाले किसानों को मिले तुरंत मुआवजा

हाल ही की बेमौसम बारिश से उत्तर भारत के लाखों किसानों प्रभावित हुए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 3 लाख हेक्टेयर जमीन की फसल बर्बाद हुई है जिसमें केवल गेहूँ की फसल 3 से 5 प्रतिशत तक का नुकसान हुआ है। किसानों की भरपाई के लिए सरकार ने घोषणा की है कि जिनका कुल फसल का 33 प्रतिशत तक नुकसान हुआ है उनको सरकारी मुआवजा दिया जाएगा लेकिन यह रकम किसान तक तब पहुँचेगी जब पटवारी यानी गाँव की रिपोर्ट तहसीलदार, एस.डी.एम., डी. एम., कमीश्नर, मुख्यमंत्री व कृषिमंत्री के हाथों से सहमति की मोहर लगाकर आयेगी। इसके पश्चात भी किसान को बिचौलियों के मुँह लगाना पड़ेगा। इसी बीच राजनैतिक पार्टियों में वोटों की सियासत भी रची जायेगी। ऐसी व्यवस्था पर धिक्कार है जो बिना कफन के जाने वाले पर आंसू तो नहीं बहा सकते लेकिन उस परिवार में बचे अन्य सदस्यों के आंसू भी छिनने में लगे रहते हैं। जिन गरीब किसानों ने कर्ज लेकर फसलें लगाई थीं बारिश की बर्बादी के कारण अपनी जानें गवाँ दी उनकी भरपाई कैसे होगी। भविष्य में ऐसी जानलेवा दुर्घटनायें न हों इसके लिए मौसम विभाग राज्य स्तर की व्यवस्था और कृषि मंत्रालय में ही ऐसा तालमेल होना चाहिए कि बेमौसम की भारी बारिश के दौरान ही मुआवजे या कर्ज माफी की सरकार की ओर से आंशिक घोषणा हो जानी चाहिए ताकि कर्ज के बोझ से गरीब किसान आत्महत्या पर ना मजबूर हो और सही मायने में देश की जनता का पेट भरने वाले को यूँ भूखा और नंगा ना मरना पड़े।

– रजनी मोहन महाजन, मयूर विहार

छोटे किसानों को नहीं मिल रहा कृषि ऋण का लाभ

उद्योग संगठन एसोचैम ने अपनी एक अध्ययन रिपोर्ट में बताया है कि कृषि ऋण भारत में छोटी जोत वाले किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इस कारण उन पर निजी साहूकारों के कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। इसके अलावा एसोचैम ने अपने नवीनतम अध्ययन में छोटी जोत वाले खेतों को इकट्ठा कर उस पर सहकारिता अथवा निगमित क्षेत्र द्वारा खेती किए जाने की भी वकालत की है। एसोचैम में अध्ययन रिपोर्ट में बताया गया है कृषि क्षेत्र में कर्ज का बोझ सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में है। इसके अतिरिक्त हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग हुए अलग हुए राज्य तेलंगाना में भी समान स्थिति है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बैंकों और सहकारिता ऋण संस्थाओं की सक्रिय उपस्थिति के बावजूद 0.01 हेक्टेयर से नीचे के छोटे भूमि धारकों के लिए कृषि ऋण का पारंपरिक स्रोत साहूकार ही हैं। ❑

ई-कामर्स की अंकटाड की रैंकिंग में 83वें स्थान पर भारत

संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास संगठन (अंकटाड) द्वारा तैयार नए सूचकांक इलेक्ट्रानिक माध्यमों के जरिए व्यापार की तैयारियों के संबंध में भारत को 83वें स्थान पर रखा है। इसके अतिरिक्त आनलाइन बिक्री करने वाली कंपनियों के खिलाफ सर्वाधिक शिकायतों के मामले में भारत को चौथा स्थान दिया गया। यह सर्वेक्षण 130 अर्थव्यवस्थाओं के उपभोक्ता के बीच के ई–वाणिज्य व्यवस्था पर तैयार किया गया साथ ही यह सूचकांक इंटरनेट उपयोग, सुरक्षित सर्वर, क्रेडिट कार्ड के प्रसार और डाक आपूर्त्ति सेवा पर आधारित था। सूचकांक का मूल्यांकन आनलाइन खरीदारी में व्यक्तियों की भागीदारी के अनुपात में बदलाव से काफी मजबूती से जुड़ा है। भारत को सूचकांक में 40.6 अंक मिले हैं। वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश में 15 साल से अधिक उम्र के 1.8 प्रतिशत लोगों के पास क्रेडिट कार्ड हैं और वर्ष 2013 के आंकड़ों के अनुसार 12.6 प्रतिशत इंटरनेट का उपयोग करते हैं, प्रति 10 लाख व्यक्ति व्यक्ति 48.2 सुरक्षित सर्वर हैं और 100 फीसद आबादी के पास घर पर डाक प्राप्त करने की सुविधा है। अंकटाड विशेषज्ञों के अनुसार ने कहा अभी 'भारत काफी नीचे है और आप देख सकते हैं ऐसा क्यों है, क्रेडिट कार्ड का प्रसार बहुत कम है। साथ ही देश में इंटरनेट का उपयोग का स्तर निम्न है। लेकिन एक मजबूत बिंदु यह है कि आपके पास घर पर डाक भेजने की सुविधा है। ❑

कार्ड व चेक का उपयोग करें लोग

भारतीय प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना दिवस पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कालेधन पर लगाम लगाने के लिए चेक और प्लास्टिक मुद्रा (कार्ड) के उपयोग को प्रोत्साहन दिए जाने पर बल दिया। अर्थव्यवस्था में तेजी के मद्देनजर एक खाका तैयार किया गया है और खाका यह है कि लोग मुद्रा का उपयोग बंद करें और चेक या प्लास्टिक मुद्रा की ओर रुख करें। आज अमेरिका या ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में मुद्रा का अधिकतम मूल्य 100 डालर और 50 पौंड है। इसलिए 'मुद्रा के उपयोग को हतोत्साहित करना और दूसरी तरफ प्लास्टिक मुद्रा या अन्य उपलब्ध साधन के उपयोग को बढ़ावा देना यही उद्देश्य होना चाहिए है। ❑

भारत में विलय एवं अधिग्रहण सौदों में तेजी

वाणिज्य एवं उद्योग संगठन एसोचैम और अर्न्स्ट एण्ड यंग के संयुक्त सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2013 में जहां 27 अरब डॉलर के 742 विलय–अधिग्रहण सौदे हुए थे और वर्ष 2014 में 28.6 अरब डालर के 870 सौदे हुए। एसोचैम के अनुसार 'वर्ष 2014 में 93 प्रतिशत सौदों में पूंजी देश के अंदर आई। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेशकों की बढ़ती रुचि देख रही है। सर्वेक्षण में बताया गया है कि 'भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहा है। परिणामस्वरूप जिसकी जीडीपी वृद्धि दर 7.6 प्रतिशत तक पहुंची है और पूंजी तथा शेयरधारकों का प्रतिफल ऊंचा रहा है। इस दौरान विलय एवं अधिग्रहण में 16.2 अरब डालर के सौदे घरेलू कंपनियों के बीच रहे। पिछले साल इस तरह के सौदे 6.2 अरब डालर के थे।

इसके अलावा बाहरी कंपनियों द्वारा घरेलू कंपनियों के साथ विलय या अधिग्रहण के सौदे 10.4 अरब डालर के रहे। इनमें से सबसे अधिक अमेरिका की कंपनियों की ओर से किए गए और इनकी संख्या 71 तथा कुल आकार 1.5 अरब डालर का रहा। वहीं जापानी कंपनियों की ओर से 1.6 अरब डालर के 40 सौदे और ब्रिटेन की कंपनियों की तरफ से 2.6 अरब डालर के 21 विलय एवं अधिग्रहण सौदे हुए। ❑

भ्रष्टाचार और कारपोरेट धोखाधड़ी से सर्वाधिक नुकसान

एक निजी संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और कारपोरेट धोखाधड़ी समेत 12 ऐसे जोखिमों की पहचान की गई है जो आर्थिक विकास को पटरी से उतार सकते हैं। यह सर्वेक्षण विभिन्न क्षेत्रों के कारोबारियों और पेशेवरों से बातचीत के आधार पर रपट बनाई गई। अधिकांश कारोबारियों ने माना कि अर्थव्यवस्था के तमाम जोखिमों में सर्वाधिक 10.26 प्रतिशत हिस्सा भ्रष्टाचार, रिश्वत एवं कारपोरेट धोखाधड़ी का है। दूसरा बड़ा जोखिम सूचना एवं साइबर असुरक्षा का योगदान को बताया गया जिसका 9.47 प्रतिशत है। रिपोर्ट में अर्थव्यवस्था के लिए 9.24 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ बाह्य स्तर पर सबसे बड़ा जोखिम आतंकवाद एवं विद्रोह को माना गया है। सर्वेक्षण में शामिल लोगों ने कहा कि आतंकवादी हमले से वित्तीय नुकसान होने के साथ ही कारोबारी निरंतरता भी प्रभावित होती है। साथ ही आज अर्थव्यवस्था के समक्ष चौथा बड़ा जोखिम कारोबार जासूसी है और इसमें इसकी हिस्सेदारी 9.23 प्रतिशत है। इसमें कहा गया है कि हाल के दिनों में पेट्रोलियम सहित कई और मंत्रालयों में जासूसी के मामले सामने आए हैं जिसका कारोबारी माहौल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ❑

बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर में सुस्ती

देश में आठ बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर फरवरी में घटकर 1.4 प्रतिशत पर आ गई। जबकि आठ बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर फरवरी, 2014 में 6.1 फीसद रही थी। आठ बुनियादी उद्योगों में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट तथा बिजली आते हैं। जनवरी, 2015 में बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर 1.8 प्रतिशत रही थी।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार फरवरी में कच्चे तेल का उत्पादन 1.9 प्रतिशत व प्राकृतिक गैस का उत्पादन 8.1 फीसद घटा। हालांकि, समीक्षाधीन महीने में कोयला उत्पादन 11.6 फीसद, सीमेंट 2.7 फीसद व बिजली उत्पादन 5.2 फीसद बढ़ा। अप्रैल–फरवरी–14–15 में आठ बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर 3.8 प्रतिशत रही है जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 4.2 प्रतिशत थी। ❑

औद्योगिक उत्पादन में चीन को फिर पछाड़ा

एक बार फिर मांग में तेजी आने से मार्च में भारत के औद्योगिक उत्पादन में लगातार 17वीं बार बढ़ोतरी दर्ज की गई और इस मामले में भारत ने एक बार फिर चीन को पछाड़ दिया है। एचएसबीसी पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) पर मार्च में देश का औद्योगिक उत्पादन फरवरी के 51.2 के मुकाबले बढ़कर 52.1 पर पहुंच गया जबकि इस दौरान चीन का 50.7 से घटकर 49.6 पर आ गया है। भारत के विनिर्माण क्षेत्र में सुधार काफी तेजी से हो रहा है। मार्च में विनिर्माण कंपनियों का उत्पादन बढ़ने के साथ ही उनके नए आर्डरों में बढ़ोतरी होने से पीएमआई में मजबूती दर्ज की गई है। ❑

हवाई यात्रियों की संख्या में भारत अव्वल

नियंत्रण विमानन संगठन आईएटीए की रपट के अनुसार देश में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में 14.8 प्रतिशत बढ़ी है जो दुनिया में सबसे ऊंची वृद्धि दर्शाती है। रपट के अनुसार विमानन कंपनियों द्वारा टिकट के दाम कम रखे जाने के कारण भी इस दौरान मांग अधिक रही है। आईएटीए के अनुसार फरवरी 2015 में कुल नियंत्रण मांग 6.2 प्रतिशत बढ़ी। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत का हवाई यात्रा बाजार पिछले कुछ वर्षों में काफी तेजी से बढ़ा है। इसकी मुख्य वजह यह है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय में इजाफा हुआ है साथ ही करोड़पतियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। ❑

पिछले पांच वर्षों में अनाजों के एमएसपी में मामूली वृद्धि

देश में वर्ष 2009 से लेकर वर्ष 2014 के दौरान मुद्रास्फीति के ऊंचे दबाव के बीच विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में औसतन 6 से 17 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि ही हुई है। इस दौरान किसानों की आय की दृष्टि से मुख्य फसलों गेहूं और धान के एमएसपी में औसत सालाना वृद्धि क्रमशः 6 और 7 प्रतिशत रही है। सूचना के अधिकार के तहत कृषि मंत्रालय के कृषि एवं सहकारिता विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2010–11 से वर्ष 2014–15 के बीच ज्वार के न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल वार्षिक 14 फीसदी, मक्का के एमएसपी में 9.5 प्रतिशत और कपास के एमएसपी में औसतन प्रति वर्ष 17 प्रतिशत की वृद्धि की गई। ❑

2000 के बाद आया 238 अरब डालर का एफडीआई

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों में बताया गया है कि देश में 2000 से 2014 के बीच कुल 238.63 अरब डालर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) किया गया जिसमें 35.38 प्रतिशत योगदान के साथ मारीशस सबसे आगे रहा। आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2000 से दिसम्बर 2014 तक देश में सेवा, निर्माण, दूरसंचार, कंप्यूटर साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर, औषधि, आटोमोबाइल उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में कुल 238 अरब 62 करोड़ डालर का एफडीआई आया है। जिसमें सबसे ज्यादा मारीशस से 35.38 प्रतिशत निवेश आया है। मारीशस से इस दौरान 84.41 अरब डालर का एफडीआई–इक्विटी निवेश भारत में किया गया।

आंकड़ों के मुताबिक मारीशस के बाद 12.47 प्रतिशत सिंगापुर का स्थान रहा है। सिंगापुर ने पिछले 14 वर्ष में भारत में 29.75 अरब डालर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया। तीसरे स्थान पर ब्रिटेन कर है जिसने 9.13 प्रतिशत निवेश किया है। ब्रिटेन से इस दौरान 21.79 अरब डालर निवेश किया जबकि 17.69 अरब डालर एफडीआई के साथ जापान चौथे स्थान पर रहा। कुल एफडीआई में जापान का योगदान 7.42 प्रतिशत रहा। दूसरी तरफ अमेरिका से 13.40 अरब डालर का निवेश हुआ। कुल इक्विटी निवेश में 5.62 प्रतिशत योगदान के साथ वह छठे स्थान पर रहा। कुल प्रवाह में 5.79 प्रतिशत योगदान और 13.81 अरब डालर निवेश के साथ नीदरलैंड पांचवें स्थान पर रहा।

इन 14 वर्षो में क्षेत्रवार सबसे ज्यादा 17.50 प्रतिशत एफडीआई वित्त, बैंकिंग, बीमा जैसे सेवा क्षेत्रों में आया। दूसरा स्थान 10.06 प्रतिशत के साथ आवास, अवसंरचना और दूसरी निर्माण परियोजनाओं का रहा है। तीसरा स्थान दूरसंचार क्षेत्र का रहा जहां 7.05 प्रतिशत निवेश हुआ है। कंप्यूटर साफ्टवेयर और हार्डवेयर में 5.78 प्रतिशत एफडीआई हुआ। आटो उद्योग में 4.77 प्रतिशत और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र में 2.73 प्रतिशत निवेश हुआ है। ❑

ऋणपत्रों में 6000 अरब रपए पर पहुंचा निवेश

कारोबारी धारणा में सुधार आने से समाप्त वित्त वर्ष 2014–15 में म्यूचुअल फंड प्रबंधकों ने ऋण बाजार में 6,000 अरब रपए का निवेश किया, जो पिछले साल की तुलना में आठ फीसद अधिक है। इसके अलावा पिछले वित्त वर्ष के दौरान कोष प्रबंधकों ने शेयर बाजार में करीब 40,000 करोड़ रपए का निवेश किया। म्यूचुअल फंड प्रबंधक नए वित्त वर्ष 2015–16 में भी ऋण एवं इक्विटी बाजारों में पूंजी निवेश को लेकर काफी संतोषजनक है। उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार 2014–15 के दौरान ऋण बाजार में पूंजी प्रवाह बढ़ने के पीछे मुख्यतौर पर नयी सरकार के सुधार एजेंडा, घरेलू अर्थव्यवस्था के बेहतर बुनियादी कारकों और खुदरा निवेशकों की बढ़ती भागीदारी मुख्य वजह रही। बाजार नियामक सेबी के हालिया आंकड़ों के अनुसार 2014–15 के दौरान म्युचुअल फंड प्रबंधकों ने 5,870 अरब रपए का निवेश किया जबकि इससे पिछले वर्ष इन्होंने 5430 अरब रपए का निवेश किया था। ❑

स्विट्जरलैंड ने बढ़ाई काले धन पर निगरानी

स्विस बैंकों में जमा काले धन को लेकर भारत और कुछ अन्य देशों द्वारा आपराधिक मुकदमे करने की धमकी के बीच स्विट्जरलैंड ने अवैध धन को अपनी बैंकिंग प्रणाली से दूर रखने के लिए निगरानी एवं प्रवर्तन के प्रयास शुरू कर दिए हैं। स्विस फाइनेंशियल मार्केट सुपरवाइजरी अथारिटी (फिनमा) यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब देश में कई वित्तीय संस्थानों के पास जमा किए गए धन व अन्य परिसंपत्तियों की जांच कर उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। उनके कई ग्राहकों के मामले कर व्यवस्था की दृष्टि से अनुचित पाए गए हैं।

अब स्विट्जरलैंड की सरकार भारत एवं अन्य देशों के साथ कर मामलों में द्विपक्षीय सहयोग की व्यव्यस्था मजबूत करने में लगी हुई है। स्विस फाइनेंशियल मार्केट सुपरवाईजरी अथारिटी की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में माना है कि वर्ष 2014 में देश पर विदेशों से आए धन के प्रबंध के मामलों में अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है। साथ ही रिपोर्ट में बताया गया है कि आने वाले वाले वर्षों में भी यह दबाव और बढ़ेगा।

रपट में यह भी बताया गया है कि जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और अर्जेंटीना ने आपराधिक जांच शुरू करने में अमेरिका का अनुसरण किया है और दूसरी ओर इस्राइल असैा भारत ऐसा करने की भी धमकी दे रहे हैं।' यह रिपोर्ट तब आई है जब भारतीय अधिकारी स्विस बैंकों में भारतीय नागरिकों द्वारा कथित तौर पर जमा किए गए काले धन का पता लगाने के प्रयास कर रहे हैं। ❑